भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून

संख्याः /भू0खनि0नि0/ई0नीला0/2023–24, दिनांक नवम्बर, 2023

जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से ठेकेदार/निविदाकार के चयन हेतु निविदा प्रपत्र

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना सख्या 977/VII-A-1/2023-24ख/2007 दिनांक 16 जून, 2023 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अध्याय–8 विविध के नियम–69 के अनुसार खनन पट्टे के धारकों से स्वामित्व या अपरिहार्य भाटक की वसूली नीलामी करके या टेण्डर आमंत्रित करके या ई–टेण्डर/ई–नीलामी या किसी अन्य रीति से चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के माध्यम से ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर अनुबन्ध कर सकती है, जो उपयुक्त समझी जाय।
2. सर्व साधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 के स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के धारकों से पट्टाधनराशि/ अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69 में उल्लिखित प्रावधान के अन्तर्गत 05 वर्ष की अवधि हेतु ठेकेदार/सफल निविदाकार का चयन ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से किये जाने हेतु ऐसे व्यक्ति/कंपनी/कन्सारटियम/साझेदारी फर्म/एलएलपी/सोसाइटी जो उक्त कार्य हेतु अर्हता रखते हों, से तकनीकी निविदा https://www.uktenders.gov.in पर एवं वित्तीय बोली https://www.eauction.gov.in ऑन लाइन निम्नवत आमंत्रित की जाती हैः–

(क) ई–निविदा की समय सारणी निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	विवरण	तिथि
1	ई–निविदा सूचना प्रकाशन दिनांक	दिनांक 22.11.2023 (बुद्धवार)
2	ई–निविदा प्रपत्र बिक्री आरम्भ दिनांक और समय (कार्यवाही www.uktenders.gov.in पर)	दिनांक 22.11.2023 (बुद्धवार) अपरान्ह 02:00 बजे से
3	प्री–बिड क्वैरी जमा करने की अन्तिम तिथि एंव समय एवं ई–मेल आई0डी0	दिनांक 28.11.2023 (मंगलवार) सांय 05:00 बजे तक E-Mail & dir.ukdgm@gmail.com पर
4	प्री–बिड मीटिंग दिनांक, समय एवं स्थान	दिनांक 29.11.2023 (बुद्धवार) अपरान्ह 12:00 बजे से भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, भोपालपानी, देहरादून।
6	प्री–बिड मीटिंग शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण प्रकाशन	दिनांक 30.11.2023 (बृहस्पतिवार) अपरान्ह

	की अतिंम तिथि	03:00 बजे से
7	ऑनलाइन ई–निविदा जमा करने हेतु आरम्भ तिथि	दिनांक 30.11.2023 (बृहस्पतिवार) अपरान्ह 04:00 बजे से
8	ई–निविदा प्रपत्र बिक्री समाप्ति दिनांक और समय	दिनांक 12.12.2023 (मंगलवार) सांय 05:00 बजे
9	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और समय	दिनांक 12.12.2023 (मंगलवार) सांय 05:00 बजे
10	ई–निविदा हेतु उपखनिज की आरम्भिक मात्रा (Base Quantity)	04 करोड़ टन
11	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक और समय	दिनांक 13.12.2023 (बुद्धवार) प्रातः 11:00 बजे से
12	मात्रा निविदा (Quantity Bid) की वित्तीय निविदा खोलने की तिथि और समय	दिनांक 13.12.2023 (बुद्धवार) को अपरान्ह् 04:00 बजे से
13	तकनीकी मूल्यांकन उपरान्त सफल एवं असफल निविदादाताओं तथा प्राप्त उच्चतम मात्रा के अनुसार आधार मूल्य की घोषणा	दिनांक 14.12.2023 (बृहस्पतिवार) प्रातः 12:00 बजे से
	ई–ऑक्शन हेतु प्रारम्भिक आधार मूल्य	Quantity Bid में प्राप्त उच्चतम मात्रा (टन में) X रू0 70 (प्रति टन)
14	ई–बोली (E-Auction) प्रारम्भ होने एवं समापन का दिनांक (कार्यवाही www.eauction.gov.in पर)	दिनांक 15.12.2023 (शुक्रवार) प्रातः 11:00 बजे
15	ऑटो एक्सटेंशन का समय	08 मिनट
14	नीलामी के लिए न्यूनतम वृद्धि मूल्य की वृद्धि प्रतिशत	0.5%
15	निविदा की वैधता	120 दिन
16	पत्राचार के लिए संपर्क अधिकारी का नाम एवं पतः	1– श्री एस0 एल0 पैट्रिक, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून। E-Mail & dir.ukdgm@gmail.com Contact No. – 8192802321 8192802348, 8192802352

(ख) ई–निविदा सह ई–नीलामी की विस्तृत प्रक्रिया का विवरण www.uktenders.gov.in एवं भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड की बेवसाईट www.dgm.uk.gov.in पर उपलब्ध रहेगा। ई–निविदा सह ई–नीलामी से सम्बन्धित जानकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकेगी। ऑन लाईन ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही www.uktenders.gov.in एवं https://www.eauction.gov.in पर संपादित की जायेगी।

नोटः– (1) निविदा की सम्पूर्ण प्रक्रिया भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड के भोपालपानी, रायपुर–थानो एयरपोर्ट रोड देहरादून स्थित मुख्यालय भवन में सम्पादित होगी। प्रतिभागी निविदादाता स्वयं

अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से निदेशालय के मुख्यालय में निविदाओं की लाईव ओपनिंग (Live Opening) देख सकेंगे, तथापि प्रतिभागी निविदादाता ई–नीलामी प्रक्रिया में स्वयं के स्थान से ऑन लाइन (Online) भाग ले सकेंगे।

(2) ऑन लाईन (Online) ई–निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून आवश्यकतानुसार निविदा प्रपत्र/शर्तों में सुधार कर सकेगा तथा उसकी जानकारी ई–निविदा सह ई–नीलामी पोर्टल www.uktenders.gov.in एवं निदेशालय की वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in में प्रदर्शित की जायेगी। ऐसा सुधार निविदाताओं पर बाध्यकारी होगा। इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे उक्त वेबसाईट/पोर्टल नियमित रूप से देखते रहें।

3. परिभाषाऐं एवं व्याख्या

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम–1957 यथा संशोधित।

(ii) ''नियम'' से अभिप्रेत है, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023।

(iii) ''खनन सत्र'' से तात्पर्य है वर्षाकाल की अवधि (माह जुलाई, अगस्त एंव सितम्बर) को छोड़कर 01 अक्टूबर से 30 जून तक का समय।

(iv) ''वित्तीय वर्ष'' से तात्पर्य 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की समयावधि से है।

(v) ''ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रपत्र'' से तात्पर्य, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 तथा उसके अन्तर्गत निष्पादित समस्त प्रपत्र, ई–निविदा आंमत्रण सूचना, ई–निविदा प्रपत्र एंव उसमें संलग्न अनुबंध एंव अन्य अभिलेख।

(vi) ''ठेके की अवधि'' से तात्पर्य नियम–69(3) के अनुसार 05 वर्ष।

(vii) ''चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार'' से तात्पर्य नियम–69 में विहित प्रक्रिया के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जो खनन पट्टे/अनुज्ञा के धारकों से स्वामित्व/ अपरिहार्य भाटक वसूल करने हेतु अधिकृत होगा एवं संमस्त वैधानिक दायत्वों के निर्वहन हेतु जिम्मेदार होगा।

(viii) ''पक्षों व पक्ष'', ''पक्षों'' से तात्पर्य अनुबंध करने वाले दोनो पक्षों से है व ''पक्ष'' का तात्पर्य अनुबन्ध निष्पादित करने वाले किसी भी एक पक्ष से है।

(ix) ''निदेशालय'' से तात्पर्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से है।

(x) ''निदेशक'' से तात्पर्य, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशलाय उत्तराखण्ड, देहरादून से है।

(xi) ''अधिकृत हस्ताक्षरी'' से तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसे, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा पारित संकल्प के माध्यम से, कंसॉरटियम में लीड मेम्बर अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा/साझेदारी फर्म एवं एलएलपी में समस्त साझेदारों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा मेनेजिंग पार्टनर द्वारा लिखित/सोसाईटी में उसके अध्यक्ष द्वारा, कंपनी/कंसॉरशियम/साझेदारी फर्म/एलएलपी/ सोसाइटी की ओर से निविदा संबधी दस्तावेज हस्ताक्षरित करने हेतु अधिकृत किया गया हो एवं जिसके पक्ष में **''परिशिष्ट–1''** में दिये गये प्रारूप में प्राधिकार पत्र निष्पादित किया गया हो।

(xii) ''अनुबंधित मात्रा'' से तात्पर्य है, निविदित उच्चतम उपखनिज की मात्रा।

(xiii) ''अनुबंधित राशि'' से तात्पर्य है, नियम–69 के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया के अधीन निविदित उच्चतम उपखनिज की मात्रा के अनुसार निर्धारित धनराशि।

(xiv) ''प्रतिभागी/बिडर'' से तात्पर्य है, ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने वाला भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एलएलपी, कंसॉरटियम, पंजीकृत सोसाईटी या भारतीय कम्पनी आदि।

4. उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के जो नियमों में प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नही है, के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम या नियम में समनुदेशित किये गये हैं।

5. **प्रतिभागी की अर्हताऐंः–**

(क) तकनीकी अर्हताः

(i) प्रतिभागी का भारतीय राष्ट्रिक होना अनिवार्य है।

(ii) प्रतिभागी दिवालिया न हो एवं उसके विरूद्ध राज्य में कोई खनिज देय बकाया न हो के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र।

(iii) उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो।

(iv) आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

(v) प्रतिभागी व्यक्ति/फर्म/सोसाईटी/एलएलपी/कम्पनी, किसी भी राज्य में नियत तिथि (जिस तिथि को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया जायेगा) को ब्लैक लिस्टेड (Black Listed)/डिबार्ड (Debarred) न हो, का नोटराइज्ड शपथ–पत्र निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रस्तुत किया हो।

(vi) फर्म एवं कम्पनी के मामले, जिसने पेन कार्ड, जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण, फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/मेमोरेण्डम आफ आर्टीकल (Memorandum of Article) की प्रति प्रस्तुत की गयी हो।

(vii) व्यक्ति/फर्म/सोसाईटी/एलएलपी/कम्पनी में से अधिकतम दो भागीदारी के तहत निविदा में प्रतिभाग कर सकेंगे। ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नाकिंत दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः–

i.	व्यक्तिगत के लिए	आधार कार्ड/पेन कार्ड।
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एव सोसायटी/अन्य अधिकृत ऐसेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
iii.	कम्पनी के लिए	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सार्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति।
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र।
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑर कंपनीज द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।
vi.	कन्सॉरटियम	कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार constitution बाबत दस्तावेज।

(viii) कन्सारटियम (Consortium):- प्रतिभागी के कन्सॉरटियम होने की स्थिति में, कन्सॉरटियम के भागीदार, जो कि दो से अधिक न हो, को विधिमान्य कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट **''परिशिष्ट–2''** निष्पादित करना होगा। उक्त कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग

एग्रीमेंट के माध्यम से भागीदार, पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से अनुबंध/ठेके की शर्तों के पालन का दायित्व ग्रहण करेंगे। विगत तीन वर्षों का टर्नओवर एवं नेटवर्थ सम्बन्धी वित्तीय अर्हता की पूर्ति हेतु किसी एक भागीदार की अर्हता पूर्ण होनी चाहिए तथापि दोनो भागीदारों की पृथक–पृथक Positive Net worth होना आवश्यक होगा।

कन्सॉरटियम के सफल निविदाकार होने की स्थिति मे, त्रिपक्षीय अनुबन्ध निष्पादन, निविदा अन्तर्गत कार्य का सम्पादन तथा समस्त वैधानिक दायित्व ग्रहण करने हेतु भागीदारों द्वारा Special Purpose Vehicle (S.P.V) का गठन किया जायेगा, जो कम्पनी अधिनियम 2013 के अन्तगत पंजीकृत कम्पनी अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 में पंजीकृत साझेदारी फर्म होगी। एस0पी0वी0 में कम से कम एक भागीदार की भागीधारिता न्यूनतम 51 प्रतिशत होना आवश्यक है, ऐसा भागीदार कन्सॉरटियम का लीड मेम्बर कहलायेगा। अन्य की भागीदारिता न्यूनतम 26 प्रतिशत होना आवश्यक है। उक्त न्यूनतम भागीदारी की निरंतरता अनुबंध अवधि तक बनाये रखना अनिवार्य होगा।

प्रतिभागी के कन्सॉरटियम होने की स्थिति में सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया कन्सॉरटियम के नाम पर लीड मेम्बर द्वारा किया जायेग। लीड मेम्बर द्वारा www.uktenders.gov.in पर पंजीकरण कराया जायेगा। धरोहर धनराशि (Earnest Money Deoposit) की राशि/बैंक गारन्टी/एफ0डी0आर0 जमा करना एवं अन्य समस्त औपचारिकतायें लीड मेंम्बर द्वारा स्वयं के नाम पर ही की जायेगी। कन्सॉरटियम के सफल प्रतिभाग होने की स्थिति में त्रिपक्षीय अनुबंध का निष्पादन एस0पी0वी0 द्वारा किया जायेगा। स्पष्ट किया जाता है कन्सॉरटियम हेतु, लीड मेम्बर द्वारा www.uktenders.gov.in पर व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर पंजीयन कराया जाना है। अतः लीड मेंम्बर, चाहे अनुसार व्यक्तिगत क्षमता में अन्य समूहों की निविदा में तो भाग ले सकेगा, किन्तु उसी समूह में कन्सॉरटियम के रूप में भाग लेने के कारण वह व्यक्तिगत क्षमता में भाग नही ले सकेगा।

(ix) प्रतिभागी/निविदादाता के पास आयकर विभाग का पेन कार्ड होना अनिवार्य है। कन्सॉरटियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

(x) निविदाकर्ता कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से किसी एक वर्ष में किसी भी उप खनिज अर्थात् आरबीएम, रेत बजरी, बोल्डर या मिश्रित अवस्था में निविदा की गई मात्रा के 10% या उससे अधिक के बराबर मात्रा के खनन के व्यापार का अनुभव होना चाहिए।

(xi) जी0एस0टी0 एंव समस्त अन्य कर/शुल्क का भुगतान प्रचलित नियमों के अनुसार प्रतिभागी/निविदादाता द्वारा किया जायेगा। चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को स्वीकृति के उपरान्त अनुबंध निष्पादन के पूर्व जी0एस0टी0 पंजीयन कराया जाना अनिवार्य है। कन्सॉरटियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस0पी0वी0 को जी0एस0टी0 के समस्त नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(ख) **वित्तीय अर्हताः–**

प्रतिभागी निविदादाताओं को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगीः–

(a) 31.03.2023 की स्थिति में प्रारम्भिक आधार मूल्य की न्यूनतम 50 प्रतिशत Net worth (यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाइनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में Net worth)।

एवं

(b) अंकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षों मे से किन्ही तीन वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओवर, प्रारम्भिक आधार मूल्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत।

(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 को आधार माना जायेगा)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (Chartered Accountant) द्वारा **"परिशिष्ट–3"** के अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

स्पष्टीकरणः–

क. <u>निविदाकार – कंम्पनी/भागीदारी फर्म/संमिति/दायित्व भागीदारी फर्म (LLP):-</u>

शुद्ध परिसम्पति मूल्य से आशय कंम्पनी/भागीदारी फर्म/संमिति/दायित्व भागीदारी फर्म (LLP) की प्रदत्त पूंजी, अधिशेष (जो कि विगत पांच वर्षो में व्यवसाय के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ से निर्मित हो) और प्रतिभूतियों के प्रीमियम से प्राप्त राशि, जिसमें से व्यवसाय के संबंधित वर्ष तक की समस्त हानि, स्थगित व्यय तथा अभी तक अपलेखित न किये गये व्यय के उपरांत, दिनांक 31.03.2022/23 की तिथि में आंकेक्षित तुलन पत्रक (Balancesheet) अनुसार ही मान्य होगी किन्तु इसमें परिसंपतियों के पुर्नमूल्यांकन और अन्य फर्म/कंम्पनी के समामेलन से उदभूत रिजर्वस् (Reserves) शामिल नही होगी।

ख. <u>निविदाकार–व्यक्ति/प्रोपराईटरः–</u>

(i) व्यक्तिगत प्रकरणों में शुद्ध परिसंपत्तियों से आशय दिनांक 31.03.2022/23 की स्थिति में शेष राशि जिसमें सार्वजनिक/अनुसूचित बैकों में जमा एवं पोस्ट ऑफिस में संबंधित के बचत खातों में जमा राशि, मियादी जमा (जो कि ऋण/कर्ज/गिरवी आदि से मुक्त हों), अनुसूचित बैंक, पोस्ट ऑफिस, सूचीबद्ध कंपनी या सरकारी संस्थान या उपक्रम (केन्द्र/राज्य सरकार), किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र, बॉण्ड, सूचीबद्ध कंपनी के अंश, फर्मों में स्वयं के नाम से निवेश, सूचीबद्ध म्यूचल फंड में जमा, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लोक भविष्य निधि में जमा शामिल है। (असूचिबद्ध कंपनी के अंश नही जोडे जाने है) जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत निवेश केवल समर्पण मूल्य तक ही मान्य होंगे। स्थायी/अचल संपत्ति यदि भार ग्रस्त न हो तथा संबंधित के पूर्ण स्वामित्व की हो।

अचल संपत्ति का मूल्यांकन संबंधित क्षेत्र के लिए (जहां अचल संपत्ति स्थित है) राज्य सरकार/प्राधिकृत विहित अधिकारी द्वारा निर्धारित गाईडलाईन मूल्य के अनुसार होना चाहिए।

(ii) प्रतिभागी द्वारा केवल सनदीलेखाकार (Chartered Accountant) द्वारा UDIN नम्बर सहित जारी नेटवर्थ एवं टर्नओवर प्रमाण पत्र ही अपलोड किया जायेगा। जिसका प्रारूप **"परिशिष्ट–3"** पर संलग्न है। उक्त प्रारूप में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जायेगा। यदि प्रतिभागी द्वारा नेटवर्थ एवं टर्नओवर संबंधी सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता एवं केवल संबंधित वर्ष का तुलन पत्रक (Balancesheet) अपलोड किया जाता है तो उसके तकनीकी प्रस्ताव को अमान्य किया जायेगा।

(iii) आवेदक फर्म/कंपनी को 31 मार्च 2023 (कन्सॉरटियम की स्थिति लागू नहीं)

6. ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया –

जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की

वसूली हेतु ठेकेदार/सफल निविदाकार का चयन ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु htpp//www.uktenders.gov.in एवं htpp//www.eauction.gov.in का उपयोग किया जायेगा।

(2) इच्छुक निविदाकर्ता का www.uktenders.gov.in एवं htpp//www.eauction.gov.in पर पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण उपरांत व्यक्ति/संस्था द्वारा login- id create करनी होगी।

(3) जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल में अवस्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 के समस्त स्वीकृत/आवेदित/चिन्हित खनन पट्टो/अनुज्ञाओं एवं उनकी स्वीकृत मात्रा, आधार मूल्य आदि का विस्तृत विवरण **निदेशालय की विभागीय वेबसाईट** www.dgm.uk.gov.in पर देखा जा सकता है।

खनन पट्टों/खनन अनुज्ञा के धारकों से स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की धनराशि की वसूली हेतु निविदा में सम्मिलित समस्त खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं में पृथक–पृथक उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 मात्रा (टन में) हेतु आगणित न्यूनतम आधार मात्रा 4.0 करोड़ टन एवं अधिकत मात्रा 7.0 करोड़ टन पर मात्रा निविदा (Quantity bid) में प्राप्त होने वाली उच्चतम उपखनिज की मात्रा का रू0 70 प्रति टन की दर से गुणा कर प्राप्त मूल्य ई–बोली (E-auction) हेतु प्रारंभिक आधार मूल्य होगा। पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा रायल्टी के अतिरिक्त डी0एम0एफ0 की धनराशि (सम्बन्धित बैंक खाते में), क्षतिपूर्ति की धनराशि (विभागीय लेखा शीर्षक) एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि (स्टाम्प शुल्क के लेखा शीर्षक) पूर्व की भांति पृथक–पृथक रूप से जमा किया जाता रहेगा।

(4) इच्छुक प्रतिभागी/निविदाकार व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/फर्म उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के साथ **"परिशिष्ट–4"** के अनुसार इस आशय का करार/वचन/सहमति पत्र निष्पादित करेगा/करेगी कि उसके द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलमी के माध्यम से जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं की मौके की स्थिति का निरीक्षण कर लिया गया है एवं खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की मात्रा पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समय में शोध्यों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए अनुबन्ध हेतु सहमत है। यह करारनामा ऑन–लाईन सहमति के रूप में भी लिया जा सकेगा।

(5) **ई0एम0डी0 (अमानत राशि):–**

(क) प्रतिभागी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/फर्म चाहे अनुसार जनपद देहरदून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली के लिए निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होंगे एवं इस हेतु ई0एम0डी0 की धनराशि आधार मूल्य का 10 प्रतिशत राशि होगी, जो कि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पक्ष में जमा करेंगे। ई.एम.डी. राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी/सावधि जमा (एफ0डी0आर0) जो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक हो, के रूप में भी जमा की जा सकती है। उक्त बैंक गारंटी/सावधि जमा (एफ0डी0आर0) निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से 06 माह की अवधि के

लिये वैध होगी। बैंक गारंटी की मूल प्रति बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व निदेशालय में जमा करनी होगी।

(ख) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की गई ई.एम.डी. राशि, देय सुरक्षा राशि (Security Money) में समायोजित की जायेगी। यदि सफल निविदाकार द्वारा ई.एम.डी. बैंक गारंटी/सावधि जमा (एफ0डी0आर0) के रूप में प्रस्तुत की गई हो तो सुरक्षा राशि की संपूर्ण राशि सावधि जमा (एफ0डी0आर0)/बैंक गारन्टी के रूप में जमा करने पर ई.एम.डी. के रूप में प्रस्तुत की गई जमा (एफ0डी0आर0)/बैंक गारन्टी वापस की जायेगी।

(ग) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के चयन उपरांत शेष प्रतिभागियों की ई.एम.डी. राशि यथा स्थिति वापस की जायेगी।

(6) ई–निविदा की प्रक्रियाः–

6.1 निविदाः– निविदा, दो कवर प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और प्रतिभागी/निविदाकार के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नानुसार स्व–प्रमाणित करके ऑन–लाईन प्रस्तुत की जायेगी। तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव मात्र ऑन लाईन (online) मोड में ही सबमिट (Submit) किये जायेंगे। किसी प्रकार की फिजिकल बिड मान्य नहीं की जायेगी।

6.2 तकनीकी निविदा में अभिलेख जो अपलोड किये जाने हैः–

6.2.1 प्रतिभागी/निविदाकार का भारतीय नागरिक, पंजीकृत फर्म, एल.एल.पी., पंजीकृत सोसायटी या भारतीय कंपनी (Any Legal Person) होना अनिवार्य है। उपरोक्त में से अधिकतम दो संस्थाओं के संघ (consortium of entities) भी निविदा में भाग ले सकेंगे। ऑनलाईन ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रस्तुत करते समय प्रतिभागी को निम्नांकित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होगें।

i.	व्यक्तिगत के लिए	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एव सोसायटी/अन्य अधिकृत ऐसेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
iii.	कम्पनी के लिए	रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सार्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति।
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑर कंपनीज द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरटियम	कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार constitution बाबत दस्तावेज

6.2.2 प्रतिभागी को आयकर विभाग का पेन कार्ड अपलोड (Upload) करना होगा। कन्सॉरटियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में दोनो भागीदारों के पेन कार्ड अपलोड करना होगा। कन्सॉरटियम के सफल प्रतिभागी होने की स्थिति में एस०पी०वी० को पेन नम्बर लेना अनिवार्य होगा।

6.2.3 इच्छुक पंजीकृत व्यक्ति/संस्था द्वारा उपरोक्तानुसार विवरण देखने के पश्चात जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की

स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु निविदा में भाग लेने के पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के साथ **''परिशिष्ट–4''** में इस आशय का करार/वचन/सहमति पत्र निष्पादित किया जायेगा कि उसके द्वारा उपरोक्तानुसार ई–निविदा सह ई–नीलामी में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 के स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञा की स्थिति का मौके पर निरीक्षण कर लिया है एवं खनन लॉटों में उपलब्ध बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की मात्रा पहुंच मार्ग एवं अन्य सुसंगत बातों का स्वयं समाधान कर लिया गया है। ई–निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम हो जाने के पश्चात उसके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में न्यायालयीन वाद नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। ई–निविदा सह नीलामी प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समयावधि के देय राशि का भुगतान करने एवं औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए अनुबन्ध हेतु सहमत है।

यह करारनामा सहमति के रूप में लिया जायेगा। निविदाकार को ''परिशिष्ट–04'' पर दर्शित ऑन–लाईन करार/वचन/सहमति पत्र डाउनलोड कर, आवश्यक प्रविष्टियां कर एवं हस्ताक्षरित कर, स्कैन प्रति डिजिटल साइनिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से ऑन–लाईन अपलोड करना होगा ।

6.2.4 प्रतिभागी को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रस्तुत करते समय **"परिशिष्ट–5"** अनुसार प्रतिभागी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

6.2.5 यदि आवेदक व्यक्ति नहीं है, तो उसे **"परिशिष्ट–1"** में दर्शित प्रारूप अनुसार "अधिकृत हस्ताक्षरी'' का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करना होगा। ''प्राधिकार पत्र'' पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के अलावा निष्पादक द्वारा भी हस्ताक्षर किए जाएंगे।

स्पष्टीकरणः– ''परिशिष्ट–1'' (प्राधिकार पत्र), रू. 1000/– के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित एवं विधिवत नोटराइज कर, स्केन (Scan) कर अपलोड किया जाना होगा। कम राशि के स्टाम्प ड्यूटी भुगतान होने की स्थिति में तकनीकी प्रस्ताव अमान्य किया जायेगा। कन्सॉरटियम के प्रतिभागी होने की स्थिति में प्राधिकार पत्र का निष्पादन लीड मेम्बर द्वारा किया जायेगा।

6.2.6 **प्रतिभागी निविदादाता को निम्न अर्हताओं की पूर्ति अनिवार्य रूप से करनी होगीः–**

क. 31.03.2023 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 50 प्रतिशत Networth,
(यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में प्रारंभिक आधार मूल्य की न्यूनतम 50 प्रतिशत Networth)

ख. अंकेक्षित लेखों के आधार पर विगत पांच वर्षों में से किन्ही तीन वित्तीय वर्षों की औसत टर्नओवर, प्रारंभिक आधार मूल्य का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना अनिवार्य है।
(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2017– 18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 को आधार माना जायेगा।)

इस हेतु निविदाकार को सनदी लेखाकार (चार्टर्ड एकाउन्टेंट) द्वारा "परिशिष्ट–3" अनुसार Certificate उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

6.3 वित्तीय निविदा–

प्रतिभागी द्वारा वित्तीय निविदा को पोर्टल पर निर्धारित स्थान पर ऑनलाईन प्रविष्टि करनी होगी एवं डिजिटली हस्ताक्षरित करना होगा।

6.4 निविदा प्रस्तुत करना और मूल्यांकन प्रक्रिया

6.4.1 उपरोक्त बिन्दु 6.2 एवं 6.3 के अनुसार सभी दस्तावेजों के साथ होने पर निविदा को पूरा माना जाएगा, सिस्टम केवल ई–निविदा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत अंतिम निविदा पर विचार करेगा।

6.4.2 ई–निविदा पोर्टल में, प्रतिभागियों को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक और समय से पहले कितनी भी बार निविदा को संशोधित करने की अनुमति है। इस हेतु प्रतिभागियों को सिस्टम पर लॉग इन (login) करना होगा और वित्तीय निविदा सहित सिस्टम द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को फिर से जमा करना होगा एवं पहले से प्रस्तुत की गई निविदा को सिस्टम में delete ऑपशन का चयन कर, हटाना होगा। हालांकि, प्रतिभागियों को सिस्टम की विफलता या इंटरनेट या नेटवर्क का कनेक्शन या बिजली की विफलता से बचने के लिए अंतिम समय में निविदा में संशोधन से बचना चाहिए। यदि प्रतिभागी निर्दिष्ट समय के भीतर अपनी संशोधित निविदा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो पूर्व की निविदा के डिलीट होने के कारण, मूल्यांकन हेतु उसकी कोई निविदा मान्य नहीं रहेगी।

6.4.3 निविदा खोलने की दिनांक, ई–निविदा सह ई–नीलामी कार्यक्रम में निर्दिष्ट हैं। इस दिनांक को शुद्धिपत्र के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

6.4.4 केवल उन प्रतिभागियों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा योग्य माना जाएगा, जो आवश्यक निविदा शुल्क रू0 20,000/– + 18% जी0एस0टी0, ई.एम.डी और दस्तावेज जमा करते है, बिना शर्त निविदा दस्तावेज के सभी नियमों और शर्तो को स्वीकार करते हैं और निविदा दस्तावेज में निर्धारित पात्रता मापदंड की आवश्यकता को पूरा करते है। इस संबंध में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6.4.5 प्रतिभागी/निविदाकार अपनी निविदा तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून इन लागतों के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

6.4.6 तकनीकी मूल्यांकन के दौरान प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का मूल्यांकन किया जाएगा। यदि किसी भी दस्तावेज में दी गई जानकारी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो निविदा को सरसरी तौर पर खारिज किया जा सकता है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी दस्तावेज के लिये स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, मांग सकता है।

6.4.7 तकनीकी मूल्यांकन के बाद, सभी प्रतिभागियों को वेबसाइट पर उनकी पात्रता के संबंध में पुष्टि मिल जाएगी। तत्पश्चात, सभी पात्र प्रतिभागियों को एक ई–मेल के द्वारा सूचित किया जाएगा।

6.4.8 तकनीकी रूप योग्य पाये गये प्रतिभागियों का वित्तीय निविदा ई–निविदा सह ई–नीलामी कार्यक्रम या शुद्धिपत्र यदि कोई हो, में उल्लेखित अधिसूचित/विस्तारित खुलने की तारीख और समय पर खोला जायेगा।

6.4.9 वित्तीय निविदा केवल उन्ही निविदाकारों के मान्य किये जायेंगे जिनका प्रस्ताव आरक्षित मूल्य से अधिक है।

6.4.10 तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों को उनके द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निविदा के घटते क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा एवं इनमें से उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों (with any fraction rounded off to higher integer) या प्रथम पांच तकनीकी पात्र निविदाकारों, जो भी अधिक हो, को ई–नीलामी हेतु पात्र माना जायेगा। उच्चतम प्राप्त वित्तीय निविदा को ई–नीलामी हेतु आधार मूल्य मान्य किया जायेगा।

यदि तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से पांच के मध्य हो तो सभी निविदाकारों को ई–नीलामी हेतु पात्र माना जायेगा। यदि एकाधिक निविदाकारों द्वारा समान राशि का वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उच्चतम 50 प्रतिशत निविदाकारों की गणना हेतु उन्हे समान श्रेणी में रखा जायेगा एवं ऐसी स्थिति में उक्त समान दर की निविदा हेतु 50 प्रतिशत की सीमा बढी हुई मानी जायेगी।

6.4.11 यदि प्रथम निविदा आमंत्रण में तकनीकी रूप से पात्र निविदाकारों की संख्या तीन से कम हो तो निविदा प्रक्रिया निरस्त कर पुनः समान शर्तों पर ई–निविदा–सह–नीलामी की जायेगी।

6.4.12 परन्तु द्वितीय अथवा आगामी निविदा आमंत्रण में निविदा की संख्या दो से कम होती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा इसके कारणों की जानकारी प्राप्त की जायेगी तथा राज्य सरकार की अनुमति से समस्त ऐसे कार्य/उपाय, जिसमें निविदत्त मात्रा, आधार मूल्य आदि का पुर्ननिर्धारण किया जायेगा जिससे अधिक से अधिक निविदा प्राप्त हो सके।

6.5 ई–नीलामी की प्रक्रियाः–

6.5.1 प्रतिभागियों/निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे ई–नीलामी मापदंडों जैसे ई–नीलामी प्रारंभ दिनांक/समय समाप्ति दिनांक/समय न्यूनतम वृद्धि मूल्य, ऑटो एक्सटेंशन आदि पर सिस्टम द्वारा उत्पन्न अधिसूचना के लिए सतर्क रहें।

6.5.2 पात्र प्रतिभागी/निविदाकार ई–निविदा सह ई–नीलामी कार्यक्रम में उल्लेखित निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार ई–नीलामी में भाग लेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण दिनांक में किसी परिवर्तन के मामले में, संशोधित दिनांक और समय सूचित किया जाएगा। ई नीलामी प्रक्रिया के दौरान सभी प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय रहती है।

6.5.3 प्रतिभागियों/निविदाकारों को ई–नीलामी में प्रारंभिक आधार मूल्य के ऊपर बोली प्रस्तुत करनी होगी। वृद्धि की दर 0.5% होगी। प्रतिभागी/निविदाकार, सफल चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार बनने के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया में उपयुक्त रूप से प्रस्ताव बढ़ा सकते हैं। प्रस्ताव में न्यूनतम वृद्धि ई–निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार होगी। ई–निविदा सह ई–नीलामी कार्यक्रम में दर्शाए अनुसार न्यूनतम वृद्धिशील मूल्य से कम वृद्धि ई–नीलामी सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी।

6.5.4 प्रारंभ में ई–निविदा सह नीलामी कार्यक्रम में उल्लिखित समय तक जारी रहेगी। यदि कोई प्रतिभागी नीलामी बंद होने के अंतिम 08 मिनट में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, तो नीलामी का समय स्वचालित रूप से, उस प्रस्ताव से आगामी 08 मिनट हेतु बढ जायेगा। ऑटो एक्सटेंशन प्रक्रिया तब तक दोहराई जायेगी जब तक जब तक अंतिम प्रस्ताव से 08 मिनिट के भीतर कोई नई बोली प्राप्त न हो।

6.5.5 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार (एच–1 प्रतिभागी) का चयन ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम मूल्य के आधार पर किया जाएगा।

6.5.6 ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सत्यापन के लिए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को तकनीकी निविदा में सफल प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मूल दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है।

6.6 अन्य शर्तेः–

6.6.1 प्रतिभागियों को अपनी निविदा के संबंध में किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण/पत्राचार की प्राप्ति के लिए ई–निविदा पोर्टल पर पंजीकृत अपने ई–मेल की लगातार जांच करते रहना होगा।

6.6.2 यदि प्रतिभागी द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत/अपूर्ण पाई जाती है, तो निविदा को अस्वीकार कर दिया जाएगा और ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, प्रतिभागियों को ई–मेल प्राप्त न होने/विफल होने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6.6.3 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून बिना कोई कारण बताए निविदा को रद्द कर सकता है।

6.6.4 सशर्त निविदा अस्वीकृत किये जायेंगे।

6.6.5 उन प्रतिभागियों की निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा, जिन्होने ई–निविदा सह ई–नीलामी की शर्तों के अनुसार अपनी निविदा को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6.6.6 इस ई–निविदा सह ई–नीलामी के संबंध में स्वयं पक्ष पुष्ट किये जाने हेतु प्रचार, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सख्ती से प्रतिबंधित है और निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई निविदाएं रद्द करने के लिए उत्तरदायी होंगी।

6.6.7 यह प्रस्ताव किसी भी प्रतिभागी को सफल प्रतिभागी घोषित करने से पहले जांच और निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के अनुमोदन के अधीन है।

(7) (क) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार (एच–1) को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा 15 कार्य दिवस में निम्न राशि जमा करने हेतु सूचना पत्र जारी किया जावेगाः–

सुरक्षा राशि (Security Money) :– उच्चतम बोली धनराशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा। यह कि सुरक्षा राशि (Security Money), पूर्व में जमा ई.एम.डी. राशि के समायोजन उपरांत, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तरखण्ड देहरादून के विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00 –102–01–00 में पेमेंन्ट गेटवे (Payment Gateway) के माध्यम से जमा की जायेगी अथवा समतुल्य की धनराशि की एफ0डी0आर0 या बैंक गारंटी जमा करनी होगी।

(ख) उपरोक्त राशियां प्राप्त होने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा सफल प्रतिभागी को वचनबंध प्रस्तुत करने एवं अनुबंध निष्पादन हेतु पत्र जारी किया जायेगा।

(8) अनुबंध का निष्पादन–

8.1.1 सफल प्रतिभागी, उसे बचनबंध (Agreement) प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध निष्पादन हेतु पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर **"परिशिष्ट–4"** पर संलग्न प्रारूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा उच्चतम बोली की धनराशि का 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने, प्रथम किस्त अग्रिम रूप से जमा करने तथा आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करेगा, के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन हेतु तैयार है।

8.1.2 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, द्वारा उक्त वचनबंध के साथ निम्न स्वहस्ताक्षरित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने होंगेः–

(i) आयकर स्थायी खाता क्रमांक (PAN) की प्रति।

(ii) जी0एस0टी0 नंबर प्रमाण पत्र की प्रति।

(iii) वचन पत्र/सहमति पत्र **"परिशिष्ट–4"** (रू0 1000 के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड), **"परिशिष्ट–5"** प्राधिकार पत्र **"परिशिष्ट–1"**, स्थल भ्रमण प्रमाण पत्र (रू0 1000 के स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड) की मूल प्रति।

(iv) निविदाकार सम्बन्धी दस्तावेज

i.	व्यक्तिगत के लिए	आधार कार्ड/पेन कार्ड
ii.	साझेदारी फर्म	रजिस्ट्रार फर्म एव सोसायटी/अन्य अधिकृत ऐजेंसी

		द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।
iii.	कम्पनी के लिए	रिजस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सार्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति।
iv.	सोसायटी	सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र
v.	एल.एल.पी.	रजिस्ट्रार ऑर कंपनीज द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र
vi.	कन्सॉरटियम	कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार constitution बाबत दस्तावेज

(v) निविदा प्रपत्र एवं निविदा प्रस्तुत करते समय अपलोड किये गये समस्त दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित प्रति।

8.1.3 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत खनन पट्टे/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि वसूल किये जाने हेतु ठेका का द्विपक्षीय अनुबंध/एम0ओ0यू0 का निष्पादन **"परिशिष्ट–6"** पर संलग्न प्रारूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के मध्य निष्पादित किया जायेगा। कन्सॉरटियम होने की स्थिति में अनुबंध का निष्पादन Special Purpose Vehicle (S.P.V) द्वारा किया जायेगा। चयनित ठेकेदार/निविदाकार द्वारा अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन स्वयं के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा।

8.1.4 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के नदीतल में उपखनिज की उपलब्धता वाले रिक्त चिन्हित खनन लॉटों के आवंटन की दशा में, आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त खनन योजना का अनुमोदन, ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 की अनुमति (पटटे की नेशनल पार्क/सेन्चुरी आदि की 10 कि0मी0 की परिधि में होने पर) यादि अपेक्षित हो, वन भूमि होने वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अधीन वन अनापत्ति, उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ (सी0टी0ई0) एवं संचालनार्थ सहमति पत्र (सी0टी0ओ0) आदि 06 माह के अन्तर्गत प्राप्त करेगा तथा उक्त अनुमति सीधे निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को उपलब्ध करायेगा। निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उक्तानुसार खनन पट्टा स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार शासन के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अध्याय–2 के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

8.1.5 ऐसे पट्टे, जो पूर्व में किसी व्यक्ति/संस्था को आवंटित नही है और उन्हे निविदा/नीलामी की प्रक्रिया के बाद चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–09(2)(च), 16 (1) एवं नियम–69(4) के अर्न्तगत वरीयता दिये जाने की व्यवस्था के अनुसार उक्त नियमावली के अध्याय–2 के प्रावधनानुसार स्वीकृत किये जाने के पश्चात यदि किसी कारण से चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार का अनुबंध (MOU) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड के द्वारा समाप्त/निरस्त किया जाता है तो उनको उक्त नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार स्वीकृत समस्त खनन पट्टे भी स्वतः निरस्त समझे जायेंगे और साथ ही उल्लंघन एवं अपराध की दशा में उक्त

चयनित ठेकेदार/निविदाकार, उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के अध्याय–7 में वर्णित परिणाम/दण्ड का भागी होगा।

8.1.6 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के पक्ष में खनन पट्टों की स्वीकृति के उपरान्त चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एवं निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के मध्य पृथक–पृथक खनन पट्टा हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।

8.1.7 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69 के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदादाता के द्वारा उच्च बोली धनराशि को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को अग्रिम भुगतान करेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ''विभागीय लेखा शीर्षक 0853–00 –102–01–00'' में विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।

8.1.8 निविदित उच्चतम बोली की राशि से अधिक एकत्र की गई कोई भी अतिरिक्त राशि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार की होगी।

8.1.9 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) के स्वामित्व/अपरिहार्य भाटक की वसूली से सम्बन्धित समस्त वैधानिक दायित्वों के निवर्हन हेतु जिम्मेदार होगा। पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा रायल्टी के अतिरिक्त डी0एम0एफ0 की धनराशि (सम्बन्धित बैंक खाते में), क्षतिपूर्ति की धनराशि (विभागीय लेखा शीर्षक) एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि (स्टाम्प शुल्क के लेखा शीर्षक) पूर्व की भांति पृथक–पृथक रूप से जमा किया जाता रहेगा।

(9) खनन पट्टे/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूल की प्रक्रिया, शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

9.1.1 चयनित ठेकेदार/सफल निविदादाता खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक के संग्रह के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा, जिस हेतु आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर चैकपोस्ट आदि की भी स्थापना करेगा।

9.1.2 पट्टा धारकों को ससमय पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक जमा करने हेतु चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से अनुरोध कर नोटिस निर्गत करा सकता है। यदि किसी पट्टाधारक के द्वारा पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक निर्धारित समय पर जमा नही किया जाता है तो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को लिखित रूप से सूचित करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

9.1.3 समस्त स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं के धारकों के द्वारा पट्टाधनराशि/रायल्टी एवं अपरिहार्य भाटक का भुगतान चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को किया जायेगा। पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों के द्वारा रायल्टी के अतिरिक्त डी0एम0एफ0 की धनराशि (सम्बन्धित बैंक खाते में), क्षतिपूर्ति की धनराशि (विभागीय लेखा शीर्षक) एवं स्टाम्प शुल्क की धनराशि (स्टाम्प शुल्क के लेखा शीर्षक) पूर्व की भांति पृथक–पृथक रूप से जमा किया जाता रहेगा।

9.1.4 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा क्षेत्रों के समीप खनिज से लदे वाहनों की जांच आदि हेतु आवश्यकतानुसार स्वंय के व्यय पर चैक पोस्ट/बैरियर स्थापित किये जा सकते हैं, जिसके सम्बन्ध में सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को दी जायेगी।

9.1.5 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा ऐसे वाहनों से अतिरिक्त धनराशि वसूल नही करेगा जिनके पास पट्टेदारों/अनुज्ञाधारकों द्वारा जारी वैध रवन्ना होगा।

बशर्ते कि तौल के बाद यदि रवन्ना में अंकित वजन से अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है तो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ऐसे अधिक मात्रा पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के नियम–14(2) के अनुसार धनराशि वसूल करेगा तथा उक्तानुसार ली गयी अतिरिक्त धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करेगा तथा उसकी सूचना प्रति माह निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को दी जायेगी। उक्त धनराशि वर्ष के अन्त में उच्च बोलीदाता की उच्चतम बोली में समायोजित की जायेगी।

9.1.6 खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को रद्द करना और समर्पण करना, नए खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को मंजूरी देना, सरकार या न्यायालय द्वारा या संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य कारण से पट्टे या लाइसेंस के अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करना, वार्षिक अनुबंध राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

9.1.7 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा अनुबंध राशि की किस्त नियत तिथि पर अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा और यदि कोई राशि नियत तिथि पर भुगतान नहीं की जाती है, तो 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि इसके बावजूद उक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अनुबंध को निरस्त करते हुये बकाया धनराशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप वसूली किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

9.1.8 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध क्षेत्र में खनिज के अधिकतम परिवहन या प्रेषण को कवर करने वाले मार्ग एवं अन्तर राज्यीय सीमाओं पर पर्याप्त वेब कैमरे, कंप्यूटर के साथ Electronic Weigh Bridge सिस्टम, इन्टरनेट कनेक्टिविटी, जनरेटर और चैक पोस्ट स्वंय के व्यय पर स्थापित कर सकेगा।

9.1.9 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक संग्रहण के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को फोटो पहचान पत्र और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए एक सौ रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क के साथ पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक के लिए लगाए जाने वाले व्यक्तियों/श्रमिकों की एक सूची जमा करनी होगी। ऐसे पहचान पत्र केवल अनुबंध की अवधि के दौरान ही मान्य होंगे। ऐसे सभी व्यक्ति/श्रमिक, पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक वसूली के दौरान प्रदर्शित होने वाला पहचान पत्र अपने पास रखेंगे।

9.1.10 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, प्रत्येक नाका या चेक पोस्ट पर ऐसे साइन बोर्ड लगाएगा जो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे और सुपाठ्य हो, जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की वैधता तथा अनुबंध

क्षेत्र का उल्लेख हो और किसी भी शिकायत के लिए संबंधित जिला खान आधिकारी का नाम और संपर्क नंबर लिखा हो।

9.1.11 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों और इन नियमों के तहत किए गए किसी भी संशोधन का पालन करेगा और सरकार या विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का भी पालन करेगा।

9.1.12 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की बिना पूर्व अनुमति के चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध को संपूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित नहीं करेगा और किसी अन्य व्यक्ति को या उसके नाम पर कोई उप–अनुबंध भी नहीं देगा।

9.1.13 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अपने स्थायी पते में परिवर्तन की सूचना पते के प्रमाण के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को ऐसे परिवर्तन के एक महीने के भीतर देगा।

9.1.14 अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में चूक के मामले में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, को एक माह का नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर समाप्त कर सकते हैं और जमा सुरक्षा धनराशि को जब्त कर सकते हैं।

(10) किसी ठेकेदार को प्रतिबंधित करना या काली सूची में डालना.–

10.1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है या चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है, अर्थातः –

10.1.1 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार अनुबंध पंजीकृत नहीं करता है,

10.1.2 मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करता है;

10.1.3 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को निर्दिष्ट दरों से अधिक पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक/पैनाल्टी एवं अन्य शुल्क वसूलने का दोषी पाया जाता है;

10.1.4 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुदान या निष्पादन के बाद किसी भी भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में शामिल पाया जाता है, अनुबंध और यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसका कर्मचारी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया को खराब करने जैसे कदाचार का दोषी है;

10.1.5 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसके साथी या उसके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से जुड़े सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है;

10.1.6 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसके साथी या उसके प्रतिनिधि को अनुबंध से उत्पन्न नैतिक अक्षम्यता वाले अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

10.1.7 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को प्रतिबंधित करने के बाद उसे एक माह का नोटिस देकर भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने के लिए पांच साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता है।

(11) पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि के संग्रहण की ठेका अवधि–

पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि के संग्रहण की ठेका अवधि 05 वर्ष होगी। उक्त अवधि पूर्ण एंव सन्तोषजक पाये जाने पर राज्य सरकार की अनुमति से, जैसे सरकार अनुमति दे, ऐसी अवधि के लिए बढाया जा सकता है। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध दिनांक से की जाएगी तथापि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है, तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

(12) ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतानः–

12.1 ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी।

टिप्पणीः– वार्षिक ठेका राशि का 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) विभागीय निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी। प्रथम किस्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–102–01–00 से जमा किया जायेगा।

सफल प्रतिभागी, उसे बचनबंध (Agreement) प्रस्तुत करने एवं अनुबन्ध निष्पादन हेतु पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर **"परिशिष्ट–6"** पर संलग्न प्रारूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय का वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि उनके द्वारा उच्चतम बोली की धनराशि का 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने, प्रथम किस्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तरीख को जमा करने तथा आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करेगा, के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन हेतु तैयार है।

12.2 ठेका धनराशि के अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।

12.3 राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम–18 की प्रथम अनुसूची में स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि में परिवर्तन किये जाने पर चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार की ठेका धनराशि/उच्चतम बोली की धनराशि में उक्तानुसार परिवर्तनीय होगी एवं तद्नुसार निर्धारित/आगणित धनराशि उच्चतम बोली की धनराशि होगी जो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा विभाग को देय होगी।

12.4 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ठेका राशि एवं उससे संबंधित अन्य संपूर्ण धनराशि विभागीय लेखा शीर्षक 0853–00–102–01–00 में जमा की जायेगी, जिसका विवरण पृथक से तत्समय उपलब्ध कराया जायेगा। विलंबित भुगतान पर 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देय होगा।

12.5 खदानवार मात्रा निविदत्त न होकर संपूर्ण समूह के लिये एकमुस्त रूप से मात्रा निविदत्त है। खदान से उत्खन्न की मात्रा खदान विशेष के लिये प्राप्त वैधानिक अनुमति तक सीमित होगी।

(13) <u>वैधानिक अनुमतियाँः–</u>

13.1 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियामवली–2023 के नियम–9 (2) (च) एवं नियम–69–(4) के अनुसार उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

13.2 उक्त नियामवली के नियम–69–(5) के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय

ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जायेगी।

13.3 यदि चयनित ठेकेदार/निविदाकार को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा रिक्त घोषित बालू, बजरी, बोल्डर/आ0बी0एम0 खनन लॉटों में से आंवटित किये जाते है तो नियमानुसार अपेक्षित समस्त अनुमतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अधीन पर्यावरण स्वीकृति, एन0बी0डब्लु0एल0 (खनन लॉट के नेशनल पार्क/सेन्चुरी आदि की 10 कि0मी0 की परिधि में होने पर), वन अनापित्ति (वन भूमि होने पर) तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ (Consent to Establish) व संचालनार्थ (Consent to Operate) अनुमति आदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा प्राप्त की जायेगी। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

13.4 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं में उपलब्ध उपखनिज की अनुमानित न्यूनतम मात्रा 4.00 करोड़ टन तथा अधिकतम मात्रा 7.00 करोड़ टन है।

(14) ठेकों का निरस्त किया जाना –

14.1 जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं के पट्टेदारों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली के लिए चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा यदि उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के सुसंगत नियमों, निविदा की शर्तों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध (MOU) की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या आगामी मासिक किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक विभागीय लेखा शीर्षक 0853 में जमा नही की जाती है तो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–58 (1) के अधीन राज्य सरकार को देय स्वमित्व (रायल्टी) सहित अनुबन्ध के अधीन देय समस्त धनराशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किया जायेगा, यदि उक्त भुगतान के लिए निश्चित दिनांक प्रत्येक माह की 07 तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर नही किया जाता है, तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा ठेका अनुबन्ध (MOU) निरस्त किया जायेगा।

ऐसे चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जिनका अनुबन्ध/ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने एवं पूर्व में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि को जब्त करने का निर्णय, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा लिया जायेगा तथा ऐसे चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिनिषिद्ध होंगे।

14.2 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।''

(15) <u>अनुबन्ध/ठेके का समर्पण</u>–

चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड को लिखित प्रार्थना पत्र देने की तिथि से अग्रिम दो माह की ठेका धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध/ठेके के समर्पण पर विचार किया जा सकेगा। चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा

निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को समस्त देयकों का भुगतान करने के पश्चात ठेका समर्पण स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि ठेके के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निदशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा ठेके की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

(16) **ठेका हस्तांतरण–** चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

(17) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की जाएं।

(18) **(क) सुरक्षा राशि** (Security Money) **जब्त करना –**

i. यदि चयनित ठेकेकार/सफल निविदाकार वैधता अवधि (जो कि ठेका स्वीकृत होने की अवधि से छः माह होगी) में अपना ठेका वापिस ले लेता है तो।
ii. यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो।
iii. चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार दिवालिया हो तो,

(19) निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी, ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा स्वीकार नहीं करने के लिये स्वतंत्र है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा ई–निविदा सह नीलामी प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

(20) **ई–निविदा सह नीलामी दस्तावेजों में सुधार–**

ई–निविदा सह नीलामी की अंतिम तारीख से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय आवश्यकतानुसार निविदा प्रपत्र में को शुद्धि–पत्र (Corrigendum) राज्य सरकार के निविदा पोर्टल www.uktender.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट/पोर्टल www.dgm.uk.gov.in में ही प्रदर्शित किये जायेगें। अतः इच्छुक प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे इन बेवसाइट/पोर्टल्स को नियमित रूप से देखते रहें।

(21) **ठेके के दौरान राज्य सरकार/निदेशालय के निर्देश आदि –**

राज्य सरकार/निदेशक ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें। ठेके की शर्तों की व्याख्या का अधिकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(22) ठेका अनुबंध/एम0ओ0यू0 पर स्टाम्प ड्यूटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

(23) **आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य –**

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में चयनित ठेकेदार/निविदाकार द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

(24) **विवादों का निपटारा –**

यदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में कोई विवाद/संशय उत्पन्न होता है तो सचिव, खनन उत्तराखण्ड शासन आर्बिट्रेटर होंगे।

परिशिष्ट–1

प्राधिकार पत्र का प्रारूप

रूपये 1000/– (एक हजार रूपये) को नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पर निष्पादित कर नोटराईज्ड किया जाना है जो केवल कंपनी/साझेदारी फर्म/समिति दायित्व भागीदारी (एलएलपी)/कन्सॉरशियम/सोसायटी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

हम ..... (नाम), पता ..... (पंजीकृत कार्यालय का पता), श्री/सुश्री (नाम) ..... आत्मज/आत्मजा/पत्नी..... को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु आमंत्रित ई निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने, अनुबंध निष्पादित करने तक प्रस्ताव और अन्य दस्तावेज और लेखन, प्री–बिड और अन्य बैठकों में भाग लेने और निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को सूचना/प्रतिक्रिया देने, सभी प्रपत्रों/दस्तावेजो/आवेदनों पर हस्ताक्षर करने, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा आमंत्रित ई निविदा सह ई–नीलामी में हमारा प्रतिनिधित्व करने तथा हमारे प्रस्ताव की स्वीकृति के परिणामस्वरूप **उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023** के अंतर्गत चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के रूप में अनुबंधों और वचन पत्रों पर हस्ताक्षर और निष्पादन और ई निविदा सह ई–नीलामी और/या हमारे प्रस्ताव के संबंध में, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड/जिलाधिकारी/सरकार के दिये गये दायित्वों आदि समस्त कार्यों के लिएः आज दिनांक से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के साथ अनुबंध में प्रवेश करने तक हमारे नाम और हमारी तरफ से समस्त कार्यवाही सम्पादित करने के लिए एतद्द्वारा हमारे अधिकृत व्यक्ति के रूप में मनोनीत, नियुक्त और अधिकृत करते हैं।

और हम इस प्रकार पुष्टि करते हैं कि हमारे द्वारा अधिकृत व्यक्ति को प्रदान की गई शक्तियों के प्रयोग के दौरान और किये गये सभी कार्य, कर्मों और चीजों को कानूनी रूप से किया गया है। हमारे द्वारा अधिकृत किए जाने के कारण और प्रदान किये गये प्राधिकार पत्र के प्रयोग में अधिकृत व्यक्ति द्वारा किए गए सभी कृत्यों, कर्मों और चीजों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

साक्ष्य में हमने ..... के दिन. 2023 को ..... ऊपर नामित व्यक्ति को इस प्राधिकार पत्र पर निष्पादित करके अधिकृत व्यक्ति नियुक्त किया।

(हस्ताक्षर)
(नाम, पदनाम व पता)

1. (अधिकृत व्यक्ति के प्रमाणित हस्ताक्षर)

2. (अधिकृत व्यक्ति के प्रमाणित हस्ताक्षर)

गवाहः

1.

2.

नोटः प्राधिकार पत्र के निष्पादन के तरीका लागू योग्य, कानून व चार्टर दस्तावेजों में निर्धारित प्रक्रिया कोई हो, के आधार पर होना चाहिए।

परिशिष्ट–2

CONSORTIUM OPERATING AGREEMENT

(To be notarized on non – judicial stamp paper of appropriate value)

This Consortium Operating Agreement ("CONSORTIUM OPERATING AGREEMENT") is made at [_____] executed on this [_____] day of [_____], 2023 among:

1. [___] **Individual/ <u>company / partnership firm</u>** having its office/ principal place of business at [_____] (hereinafter referred to as the **"Lead Partner"** which expression shall include its successors, executors and permitted assigns);
2. [_____**Individual/ <u>company/ partnership firm/ LLP</u>** _____], having its office/ principal place of business at [_____] (hereinafter referred to as "Partner" which expression shall include its successors, executors and permitted assigns).
3.

(The Lead Partner and Partner are hereinafter referred to individually as "Party" and collectively as **"Parties"** or **"Bidder".)**

WHEREAS

(A) The bidder proposes to participate in the notice inviting tender dated ……bearing no……. Directorate of geology and mining, uttarakhand for collection of lease amount/dead rent from the river bed mining leases/mining permits and applied, identified vacant mining lots (after their sanction).

(B) The Bidder proposes to submit its Bid pursuant to the Notice Inviting Tender and has, in this regard, prepared its Bid under Consortium Route.

(C) One of the conditions of the Bid Document is that the Bidder, submitting its Bid under Consortium Route is required to enter into a Consortium Operating Agreement.

(D) The Parties therefore propose to enter into this Consortium Operating Agreement in relation to the Bid proposed to be submitted.

NOW THEREFORE THIS AGREEMENT WITNESSETH AS UNDER:

1. CONSORTIUM
   (a) The Parties hereby form a consortium for the purposes of the Bid and the consortium shall be named as [_____][1]
   (Hereinafter referred to as the "Bidder" or "Bidding Consortium").

   (b) The Bidder's principal place of business shall be [_____ _____].

   (c) The Partners hereby nominate [_____] as the **'Lead Partner'**.

(d) The following shall be the stake of the different Partners in the Bidding Consortium:-

Particulars	Name of entity	% shareholding
Lead Partner		
Other Partner		

2. UNDERTAKING

The Parties hereby irrevocably and unconditionally acknowledge, confirm and undertake that:

a. The Parties shall be jointly and severally liable for all actions taken by the Bidder or any other person on its behalf, in relation to the Bid, the bidding process and the Bid Document.

b. For evaluating the financial qualification of the consortium, to fulfill the financial eligibility related to turnover and net worth of the last three years, one of the partners should be eligible; however, it will be necessary for both the partners to have separate positive networth.

c. In the event the Bidder (i.e., the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder, both the partners of consortium shall form a special purpose vehicle (SPV) which should be a company registered under the Companies Act, 2013 /partnership firm registered under "The Indian Partnership Act" to execute the contract. In the SPV, one of the partners shall be a lead partner, who shall hold minimum 51% shares /share of interest and the other partner shall hold minimum 26% shares/share of interest. The said share holding/share of interest pattern in the SPV shall continue during the contract period. Each of the Parties shall be bound by the terms contained therein, as if it were individually selected as the Agency.

d. In the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, the Parties shall ensure that the SPV duly performs all of its obligations as set out in the Agreement;

e. In the event the Bidder (i.e., the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, each of the Parties shall provide unconditional and irrevocable technical and financial support and assistance to the SPV in relation to the performance of all obligations by it under the RFP and Agreement;

f. Change in the management and control of the Parties, shall be made with prior written intimation to Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun;

g. The composition and stake of the Parties in the Bidding Consortium shall be as declared in the Consortium Operating Agreement; and in the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is declared to be the Successful Bidder as per the Bid Document, each Partner Company of the Consortium shall, throughout the

contract period as mentioned in the Agreement, hold the equity share capital in the SPV.

h. Each of the Parties confirms that in the event the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) is successful in its Bid, the Parties shall deposit "Security Deposit" for the amount as stipulated in the bid document;

i. The Parties shall provide the SPV with the necessary managerial, financial and technical expertise to ensure due performance of the obligations of the SPV under the Agreement;

j. In the event of any default by the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) in performing, meeting or otherwise complying with any of its obligations in accordance with the terms of the Bid Document, Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun may at any time as it deems fit and/or appropriate in its sole discretion, without giving any opportunity of recourse to the Bidder, require the Parties to hold Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun harmless from and against any and all damages, losses, liabilities, obligations, claims of any kind, interest, cost, fee, or expenses (including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses) suffered, incurred or paid by Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun, as a result of, in connection with or arising out of such default;

k. In the event of any default by the SPV in performing, meeting or otherwise complying with any of its obligations in accordance with the terms of collection of lease amount/dead rent from the river bed mining leases/mining permits and applied, identified vacant mining lots (after their sanction), the Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun may at any time as it deems fit and/or appropriate in its sole discretion, without giving any opportunity of recourse to the SPV, require the Parties to hold Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun harmless from and against any and all damages, losses, liabilities, obligations, claims of any kind, interest, cost, fee, or expenses (including, without limitation, reasonable attorneys' fees and expenses) suffered, incurred or paid by Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun, as a result of, in connection with or arising out of such default;

l. Neither the obligations of the Parties, nor the rights of Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun hereunder or under the Bid Document or the Agreement shall stand revoked, or otherwise be impaired or mitigated in any manner whatsoever, if there exists at any time any dispute before any court (whether in India or abroad), arbitration, claims, settlements, obligations, expert determination or similar proceedings under the Agreement between the Bidder and Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun including in case of any dispute between the Parties;

m. The obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement shall be irrevocable, absolute and unconditional, irrespective of the value, genuineness validity, regularity or enforceability of the services of the Agreement, or the insolvency, bankruptcy, reorganisation, dissolution,

winding-up or liquidation of the Selected Contractor /Qualified Bidder or any change in the ownership of the Selected Contractor /Qualified Bidder, or any purported assignment by the Selected Contractor /Qualified Bidder or any other circumstances whatsoever which might otherwise constitute a defence or discharge of a guarantor or surety;

n. The obligations of the Parties shall not be affected by any failure by Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun to pay or perform any of its obligations under the Bid Document or Agreement;

o. The Parties shall refrain from taking any actions that contravene with their obligations of the Bidder under the Consortium Operating Agreement, Bid Document or the Agreement or with the obligations of the SPV under the Agreement; and

p. It is agreed by the Parties that the sharing of responsibility and obligations shall not in any way be a limitation of joint and several responsibilities of the partners under the contract.

3. REPRESENTATIONS

Each representation and warranty made by the Bidder (i.e. the Bidding Consortium) in the Bid and by the SPV in the Agreement is deemed to be incorporated herein as if such representation and warranty has been made by the Parties under this Consortium Operating Agreement and each of the Parties individually further represents and warrants in respect of itself that:

a) it is an entity duly organised and existing in accordance with the laws of [_____]2 and it has the power and authority to own its assets and to enter into and perform its obligations under this Consortium Operating Agreement and to transact the business in which it is engaged and to consummate the transactions contemplated by the Bid, Agreement and this Consortium Operating Agreement;
b) It has the corporate power to execute, deliver and perform the terms and provisions of this Consortium Operating Agreement and has taken all the necessary corporate action to authorise execution, delivery and performance by it of this Consortium Operating Agreement, the Bid and Agreement;
c) This Consortium Operating Agreement has been duly executed and delivered by it and is legal, valid, binding and enforceable against it in accordance with its terms without any further action being required on the part of the Bidding Consortium;
d) The execution, delivery and performance by it of this Consortium Operating Agreement will not violate or conflict with:
    1) its constitutional documents, any applicable law to which it is subject;
    2) Any order, writ, injunction or decree of any court or government authority binding on it or its assets; or
    3) Any existing contract which is binding on it;
e) Neither it nor its assets are entitled to immunity from execution, attachment or other legal process. The execution of this Consortium Operating Agreement

and the performance of its respective obligations hereunder will constitute private and commercial acts done and performed for private and commercial purposes; and

f) All information provided by it in connection with the transaction contemplated under the Bid, is true, correct and complete in all respects as of the date provided (or such other date as is specifically referred).

4. WAIVER OF DEFENCES

The obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement will not be affected by any act, omission, matter or thing (including whether or not known to the Parties) which would reduce, release or prejudice any of its obligations under this Consortium Operating Agreement or prejudice or diminish those obligations in whole or in part including:

a) any time or waiver granted to, or composition with, another person;
b) the taking, variation, compromise, exchange, renewal or release of, or refusal or neglect to perfect, take up or enforce, any rights against, or security over assets of, another person or any non-presentation or non-observance of any formality or other requirement in respect of any instrument or any failure to realise the full value of any security;
c) any incapacity or lack of powers, authority or legal personality of or dissolution or change in the constitution or status of another person;
d) any variation of the Bid Document, Bid, Agreement or any other related document;
e) the winding-up, dissolution, official management or re-organisation of any other person or any change in its status, function, control or ownership;
f) any unenforceability, illegality or invalidity of any obligation of any person due to any other document, to the extent that the Parties' under this Consortium Operating Agreement shall remain in full force and its obligations be construed accordingly, as if there were no unenforceability, illegality or invalidity; or
g) any other act or thing whatsoever.

5. MISCELLANEOUS

i. Severability

Any provision of this Consortium Operating Agreement which is prohibited or unenforceable in any jurisdiction shall, as to such jurisdiction, be ineffective to the extent of prohibition or unenforceability but that shall not invalidate the remaining provisions of this Consortium Operating Agreement or affect such provision in any other jurisdiction.

ii. Event of Default

The Parties acknowledge that upon any failure to comply with the covenants set forth herein Director, Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun may inter-alia disqualify the Bid or treat such failure to be a breach under the Agreement.

iii. Notices

All notices and other communication issued to the Lead Partner Company or the SPV shall be deemed to be issued to the Parties simultaneously.

iv. Governing Law and Jurisdiction

This Consortium Operating Agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of India. The Courts at Dehradun shall have exclusive jurisdiction over all disputes arising under, pursuant to and/ or in connection with this Consortium Operating Agreement.

v. Benefit of this Consortium Operating Agreement

The Parties hereby acknowledge and agree that the Bidding Consortium has been established for the sole purpose of submitting a Bid as per the Bid Document and that this Consortium Operating Agreement has been executed for the sole benefit of Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun and for the specific purpose of ensuring that Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand receives the benefits of the Bidder's and SPV services under and in accordance with the Agreement. Accordingly, Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun shall, not with standing anything contained herein, at all times have the right to specifically enforce the performance by the Parties of their obligations pursuant to this Consortium Operating Agreement and the Parties hereby irrevocably and unconditionally waive any defence, rights or protection that they may have in law, contract or otherwise in this regard.

vi. Assignment

The Parties shall not assign or delegate their rights, duties or obligations under this Consortium Operating Agreement or under the Agreement in any manner whatsoever, except with prior written consent of Director, Directorate of Geology And Mining, Uttarakhand, Dehradun.

vii. Amendments

The terms and conditions of this Consortium Operating Agreement shall not be amended or modified, except with prior written consent of Director, Directorate of Geology and Mining, Uttarakhand, Dehradun.

viii. Authorised Signatory

The Parties jointly authorise [_____] to be our authorised signatory ("Authorised Signatory") to undertake all acts, deeds and things as is necessary in relation to the Bid, Bid Process and performance of the Agreement. The Authorised Signatory and the Bidder shall be authorised to incur liabilities and receive instructions for and on behalf of any and all Parties, till the SPV is incorporated.

6. TERMINATION

The obligations of the Parties under this Consortium Operating Agreement (COA) shall continue till the bidding process completion date and in case the Bidder is declared to be a Successful Bidder, then till the termination of the Agreement or till completion of all obligations related to the Agreement, whichever is later. Also the COA shall be deemed to be in force incase of any obligation related to

the Agreement arising in the future, i. e. even after completion of Term /Period of Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties have, through their authorised representatives, executed these presents and affixed the seals of their respective companies on the day, month and year first mentioned above.

On behalf of the Lead Partner Company
Name:

Designation:

Seal of Consortium Partner

Witness-1

Witness-2

On behalf of Partner Company

Name:

Designation:

Seal of Consortium Partner (2)

Witness-1

Witness-2

परिशिष्ट–3

FORMAT OF NET WORTH AND TURNOVER CERTIFICATE
TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

1. This is to certify that the Turnover of M/s ..... is as under :-

Financial Year	Turnover (Rupees Crores)
Average	

Note:- उपरोक्त तालिका में विगत पांच वर्षों में से चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा चयनित किन्ही तीन वित्तीय वर्षो की औसत टर्न ओवर दर्शाया जायेगा।
(टर्नओवर की गणना हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21, 2021–22 एवं 2022–23 को आधार माना जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 को आधार माना जायेगा।)

2. This is to further certify that Net worth is as under:-

As at	New worth Rs.
31.03.2023 or 31.03.2022	

Note:- यदि वित्तीय वर्ष 2022–23 के लेखे फाईनल न हुए हों तो ऐसी स्थिति में दिनांक 31.03.2022 की स्थिति में net worth.

This is further certified that the computation of turnover and net worth, based on our scrutiny of accounts, records and documents, is true and correct to the best of our knowledge and as per information provided to our satisfaction.

For .....

Chartered Accountants

FRN .....

Partner/Proprietor

Place:

Date :

परिशिष्ट–4

निविदा में भाग लेने के पूर्व ऑन–लाईन करार/वचन/सहमति पत्र

मैं, श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
स्वामी/साझेदार/निदेशक/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता..... निवासी..... जिला .....जिसे इसमें इसके पश्चात प्रतिभागी कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जहां संदर्भ में ऐसा माना गया है, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुमति प्राप्त प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, आज दिनांक..... माह..... सन 20.....कों सहमति देते हैं/वचनबद्ध हैं कि –

1. चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ने जनपद, नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं हरिद्वार के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली आदि के संबंध में ई निविदा सह ई–नीलामी प्रपत्र में अधिकथित की गई शर्तों को ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व पढ़ लिया है या समझ लिया है और यह स्वीकार करता/करती हूं कि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार उक्त शर्त के बारे में अज्ञानता व्यक्त करने का हकदार नहीं होगा।
2. चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एतद्वारा सहमति व्यक्त करता है कि–

   (क) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ने ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु उक्त क्षेत्रों की मौके की स्थिति का निरीक्षण कर लिया गया है। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात किसी भी प्रकार की कोई शिकायत/आपत्ति अथवा इस संबंध में किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नही किया जायेगा। निविदा प्रक्रिया अंतिम होने के पश्चात निर्धारित समयान्तर्गत देयकों का भुगतान करने और औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु सहमत है।

   (ख) चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा विभिन्न विधियों, दिशा–निर्देशों, बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 तथा परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार आदि पर लागू समस्त नियमों, विभिन्न न्यायालयों, प्राधिकरणों एवं शासन आदि के आदेश/परिपत्र आदि के संबंध में अपना समाधान किया जा चुका है एवं वह इन समस्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर ही प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।

   (ग) ई–निविदा सह ई–नीलामी में भाग लेने के पूर्व चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु आधार मूल्य की धनराशि की 25% राशि अग्रिम रूप से जमा करेगा, जो अमानत राशि (EMD) कहलाएगी।

   (घ) ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही औपचारिकताओं की पूर्ति करके नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली का कार्य आरम्भ किया जाएगा तथा निर्धारित समयावधि में देय राशि का भुगतान किया जाएगा।

   (ड) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया में प्राप्त उच्चतम राशि को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है एवं कारण बताये बिना, उसे स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया किसी भी चरण में बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती है।

3. मैंने उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के सुसंगत नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं उनका अक्षरशः पालन करूंगा।
4. अनुबंध का निष्पादन करने के लिए अपेक्षित स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा वहन किया जाएगा।
5. मैं वचन देता/देती हूँ कि –

(क) मेरी फर्म/पार्टनरशिप फर्म/एलएलपी/कंपनी/सोसायटी/.....दिवालिया नहीं है तथा किसी प्रकार को कोई बकाया नहीं है, यदि ऐसे कोई देयता बकाया पायी जाती हैं तो वह मेरी अमानत राशि (EMD) जब्त करते हुये ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(ख) यदि अनुबंध के निष्पादन के पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि मेरे/ हमारे पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं है तो मुझे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि मेरे/हमारे द्वारा गलत बयानी या गलत जानकारी के आधार पर ठेका प्राप्त कर लिया गया है तो मेरा/हमारा ठेका निरस्त हो जाएगा। यदि मेरे/हमारे पक्ष में कार्यादेश जारी किया जा चुका हो या मेरे/हमारे द्वारा अनुबंध निष्पादित कर दिया गया हो तो गलत बयानी या गलत जानकारी के लिए लिखित में सूचना द्वारा मेरा/हमारा स्वीकृति पत्र/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है। ऐसे निरस्तीकरण के फलस्वरूप मेरी/हमारी अमानत राशि (EMD)/सुरक्षा राशि (Security Money) एवं अन्य राशि जब्त की जा सकती है तथा लागू विधियों या प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार कोई अन्य कार्यवाही करने का अधिकार भी होगा। निरस्तीकरण के कारण मुझको/हमको हुई किसी भी हानि के लिए मैं/हम स्वयं उत्तरदायी होंगे।

दिनांकः
स्थान

(.....)

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम–.....
पता–.....
मो0 नं–.....
ई–मेल–.....

परिशिष्ट–5

प्रतिभागी/निविदाकार का विवरण

1– निविदाकार का नाम	
2– निविदाकार का कॉन्सटीट्यूशन की प्रति संलग्न की जायेगी	
3– अधिकृत व्यक्ति के प्राधिकार पत्र की प्रति संलग्न की जायेगी	
4– निविदाकार का पैन कार्ड की प्रति संलग्न की जायेगी	
5– निविदाकार की जी0एस0टी0आई0एन0 की प्रति संलग्न की जायेगी	
6– **निविदाकार के बैंक का पूर्ण विवरण–**	
क– खाताधारक का नाम	
ख– खाता क्रमांक	
ग– बैंक का नाम	
घ– शाखा का नाम	
ड़– आई0एफ0एस0सी0 कोड	
7– निविदाकार की अर्हता के संबंध में अन्य दस्तावेज	
क– अद्यतन चरित्र प्रमाण–पत्र	
ख– दिवालीय न हो एवं किसी राज्य में कोई खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड़ शपथ–पत्र	
ग– किसी भी राज्य में काली सूची में न होने सम्बन्धी नोटराइज्ड शपथ–पत्र	
घ– व्यक्तिगत के लिए आधार कार्ड की प्रति	
ड.– साझेदारी फर्म– रजिस्ट्रार फर्म एव सोसायटी/अन्य अधिकृत ऐजेंसी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र।	
च– कम्पनी के लिए– रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी द्वारा जारी सार्टिफिकेट ऑफ इनकार्पोरेशन की प्रति।	
छ– सोसायटी– सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र।	

ज– एल.एल.पी.– रजिस्ट्रार ऑर कंपनीज द्वारा जारी एल.एल.पी. पंजीकरण प्रमाण पत्र।	
झ– कन्सॉरटियम– कन्सॉरटियम ऑपरेटिंग एग्रीमेंट (सी0ओ0ए0) एवं दोनो भागीदारों के उपरोक्तानुसार constitution बाबत दस्तावेज।	
8– निविदाकार का पत्राचार के लिये पता स्थायी/अस्थायी	
क– टेलीफोन नंबर	
ख– ई–मेल	

परिशिष्ट–6

चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध का प्रारूप

यह अनुबंध, एक पक्ष के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून (जिसे इसमें इसके पश्चात ''निदेशक'' कहा गया है) एवं जिस अभिव्यक्ति में उनके पद उत्तरवर्ती सम्मिलित है और द्वितीय पक्ष के रूप में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार मैसर्स/श्री/श्रीमती/कुमारी.....पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी..... .....तहसील जिला.....के अधिकृत प्रतिनिधि (यदि लागू हो तो) श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री.....निवासी.....तहसील.....जिला.....(जिसे इसमें इसके पश्चात ''चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार'' कहा गया है) जिस अभिव्यक्ति में, जहां कि संदर्भ ऐसा स्वीकार करता है, उसके वारिस निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती शामिल है, के बीच आज दिनांक ..... माह .....सन् दो हजार.....को अवधि .....से .....हेतु नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली के लिए किया गया है।

अतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के कार्यालय आदेश संख्या .... के द्वारा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली का ठेका स्वीकृत किया है।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियामवली–2023 के नियम–69 के प्राविधानों के अंतर्गत नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली है का कार्य, उक्त नियम में वर्णित प्रक्रिया अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार से कराया जायेगा।

उक्त दायित्व की पूर्ति हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार का चयन किया गया है। उक्त निविदा में जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु उच्चतम बोली रू0 .....प्रस्तुत करने वाले निविदाकार मैसर्स.....को उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया। मैसर्स..... को पत्र क्रमांक.....दिनांक..... के माध्यम से सूचना पत्र जारी किया गया एवं वांछित सुरक्षा राशि तथा वचनबंध प्रस्तुत करने पर, शासन के अनुमोदन उपरांत आज.....को उपरोक्तानुसार जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली हेतु अनुबंध निष्पादित किया जाता है।

2. **कार्य का स्वरूप–** इस अनुबंध का मूल तत्व, वार्षिक ठेका राशि के भुगतान पर निश्चित समयावधि हेतु जनपद देहरदून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत

खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों/खनन अनुज्ञाओं (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली का अधिकार दिया जाना है।

3. इस अनुबंध के अनुसरण में चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जनपद देहरदून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली का कार्य कुल 05 वर्ष हेतु जिसकी अवधि दिनांक ..... से दिनांक.....तक होगी।

इस प्रकार जनपद देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर एंव नैनीताल के नदीतल स्थित बालू, बजरी, बोल्डर/आर0बी0एम0 की स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं तथा आवेदित/चिन्हित रिक्त उपखनिज खनन लॉटों (स्वीकृति के उपरान्त) से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली किए जाने पर लागू समस्त नियमों, वर्णित शर्तो के पालन की पूर्ण जिम्मेदारी चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार की होगी। इस अनुबंध के माध्यम से चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा बिना शर्त यह सहमति दी जाती है कि वह समस्त प्रकार के उल्लघनों पर लागू आपराधिक उत्तरदायित्व को स्वयं ग्रहण करेगा। किसी भी न्यायालय प्राधिकरण अथवा प्राधिकारी द्वारा यदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के विरूद्ध कोई पैनल्टी अथवा जुर्माना आदि लगाया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा की जायेगी। यदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के विरूद्ध पैनल्टी अथवा जुर्माना लगाया जाता है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को वह, उसका भुगतान करेगा।

4. **सुरक्षा राशि– सुरक्षा राशि** (Security Money) :– उच्चतम प्राप्त बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत सुरक्षा राशि के रूप में देय होगा।

5. **अनुबंध का निष्पादन–**

5.1 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार उच्चतम बोली की धनराशि को 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने, प्रथम किस्त अग्रिम रूप से जमा करने तथा आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करेगा।

5.2 वचनबंध प्रस्तुत करने के उपरांत खनन पट्टे/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि वसूल किये जाने हेतु ठेका का द्विपक्षीय अनुबंध का निष्पादन चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के मध्य किया जायेगा। कन्सॉरटियम होने की स्थिति में अनुबंध का निष्पादन Special Purpose Vehicle (S.P.V) द्वारा किया जायेगा। चयनित ठेकेदार/निविदाकार द्वारा अनुबंध का भारतीय स्टाम्प और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का क्रमांक 16) के उपबंधों के अधीन स्वयं के व्यय पर पंजीयन कराया जाएगा।

5.3 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर के नदीतल में उपखनिज की उपलब्धता वाले रिक्त चिन्हित खनन लॉटों के आवंटन की दशा में, आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त खनन योजना का अनुमोदन, ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन–2006 के अन्तर्गत पर्यावरणीय अनुमति, एन0बी0डब्लू0एल0 की अनुमति (पटटे की नेशनल पार्क/सेन्चुरी आदि की 10 कि0मी0 की परिधि में होने पर) यादि अपेक्षित हो, वन भूमि होने वन संरक्षण अधिनियम–1980 के अधीन वन अनापत्ति, उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ (सी0टी0ई0) एवं संचालनार्थ सहमति पत्र (सी0टी0ओ0) आदि 06 माह के अन्तर्गत प्राप्त करेगा तथा उक्त अनुमति सीधे निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को उपलब्ध करायेगा। निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा उक्तानुसार खनन पट्टा स्वीकृति का

प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा तद्नुसार शासन के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के अध्याय–2 के अनुसार खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

5.4 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के पक्ष में खनन पट्टों की स्वीकृति के उपरान्त चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एवं निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के मध्य पृथक–पृथक खनन पट्टा हेतु एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जायेगा।

5.5 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69 के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदादाता के द्वारा जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं हरिद्वार में स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक वसूल किया जायेगा।

5.6 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69 के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदादाता के द्वारा उच्च बोली धनराशि का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को अग्रिम भुगतान करेगा। उक्त धनराशि का भुगतान ''विभागीय लेखा शीर्षक 0853–00 –102–01–00'' में विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से किया जायेगा।

5.7 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जनपद नैनीताल, उधमसिंहनगर, देहरादून एवं हरिद्वार में स्वीकृत खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक वसूली से सम्बन्धित समस्त वैधानिक दायित्वों के निवर्हन हेतु जिम्मेदार होगा।

6.1 खनन पट्टे/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूल की प्रक्रिया, शर्तें एवं प्रतिबन्धः–

6.1.1 चयनित ठेकेदार/सफल निविदादाता खनन पट्टों/खनन अनुज्ञाओं के धारकों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक एवं और अन्य शुल्कों के संग्रह के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा, जिस हेतु आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यय पर चैकपोस्ट आदि की भी स्थापना करेगा।

6.1.2 पट्टा धारकों को ससमय पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक जमा करने हेतु चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून से अनुरोध कर नोटिस निर्गत करा सकता है। यदि किसी पट्टाधारक के द्वारा पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक निर्धारित समय पर जमा नही किया जाता है तो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड को लिखित रूप से सूचित करने पर उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली–2023 के नियम–69(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6.1.3 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा/खनन अनुज्ञा क्षेत्रों के समीप एवं राज्य क्षेत्रान्तर्गत अर्न्तराज्यीय सीमाओं पर खनिज से लदे वाहनों की जांच आदि हेतु आवश्यकतानुसार स्वंय के व्यय पर चैक पोस्ट/बैरियर स्थापित किये जा सकते हैं, जिसके सम्बन्ध में सूचना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को दी जायेगी।

6.1.4 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थापित चैक पोस्ट/बैरियर पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/भण्डारण स्थलों से खनिज (कच्चा एवं पक्का माल) से लदे वाहनों की जांच की जा सकेगी।

6.1.5 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा ऐसे वाहनों से अतिरिक्त धनराशि वसूल नही करेगा जिनके पास पट्टेदारों द्वारा जारी वैध रवन्ना होगा।

बशर्ते कि तौल/पैमाइश के बाद यदि रवन्ना में अंकित वजन से अधिक मात्रा में खनिज पाया जाता है तो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ऐसे अधिक मात्रा पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 के नियम–14(2) के अनुसार धनराशि वसूल करेगा तथा उक्तानुसार ली गयी धनराशि विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करेगा तथा उसकी सूचना प्रति माह निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं सम्बन्धित जिला खान अधिकारी को दी जायेगी।

6.1.6 खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को रद्द करना और समर्पण करना, नए खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा को मंजूरी देना, मौजूदा खनन पट्टे/खनन अनुज्ञा की रायल्टी/पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक में संशोधन, सरकार या न्यायालय द्वारा या संबंधित क्षेत्र में किसी अन्य कारण से पट्टे या लाइसेंस को अस्थायी या स्थायी रूप से बंद करना, ठेके/अनुबंध की वार्षिक धनराशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.1.7 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा अनुबंध राशि की किस्त नियत तिथि पर अग्रिम रूप से भुगतान किया जायेगा और यदि कोई राशि नियत तिथि पर भुगतान नहीं की जाती है, तो 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यदि इसके बावजूद उक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तो निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उक्त अनुबंध को निरस्त करते हुये बकाया धनराशि को भू–राजस्व के बकाया के रूप वसूली किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6.1.8 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध क्षेत्र में खनिज के अधिकतम परिवहन या प्रेषण को कवर करने वाले मार्ग एवं अन्तर राज्यीय सीमाओं पर पर्याप्त वेब कैमरे, कंप्यूटर के साथ Electronic Weigh Bridge सिस्टम, इन्टरनेट कनेक्टिविटी, जनरेटर और चैक पोस्ट स्वंय के व्यय पर स्थापित कर सकेगा।

6.1.9 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक संग्रहण के लिए उसके द्वारा नियोजित सभी व्यक्तियों/श्रमिकों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगा हुआ फोटो पहचान पत्र जारी करेगा। चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को फोटो पहचान पत्र और प्रत्येक पहचान पत्र के लिए एक सौ रुपये प्रति व्यक्ति का शुल्क के साथ पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक के लिए लगाए जाने वाले व्यक्तियों/श्रमिकों की एक सूची जमा करनी होगी। ऐसे पहचान पत्र केवल अनुबंध की अवधि के दौरान ही मान्य होंगे। ऐसे सभी व्यक्ति/श्रमिक, पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक वसूली के दौरान प्रदर्शित होने वाला पहचान पत्र अपने पास रखेंगे।

6.1.10 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, प्रत्येक नाका या चेक पोस्ट पर ऐसे साइन बोर्ड लगाएगा जो दूर से स्पष्ट रूप से दिखाई दे और सुपाठ्य हो, जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की वैधता तथा अनुबंध क्षेत्र का उल्लेख हो और किसी भी शिकायत के लिए संबंधित जिला खान आधिकारी का नाम और संपर्क नंबर लिखा हो।

6.1.11 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध के सभी नियमों और शर्तों और इन नियमों के तहत किए गए किसी भी संशोधन का पालन करेगा और सरकार या विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी निर्देशों का भी पालन करेगा।

6.1.12 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की बिना पूर्व अनुमति के चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अनुबंध को संपूर्ण या आंशिक रूप से स्थानांतरित नहीं करेगा और किसी अन्य व्यक्ति को या उसके नाम पर कोई उप–अनुबंध भी नहीं देगा।

6.1.13 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, अपने स्थायी पते में परिवर्तन की सूचना पते के प्रमाण के साथ निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को ऐसे परिवर्तन के एक महीने के भीतर देगा।

6.1.14 अनुबंध के नियमों और शर्तों के उचित पालन में चूक के मामले में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, को एक माह का नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं और जमा सुरक्षा धनराशि को जब्त कर सकते हैं।

6.2 चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को प्रतिबंधित करना या काली सूची में डालना.–

6.2.1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लिखित में कारण दर्ज करने के बाद चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को निम्नलिखित में से किसी भी कारण से अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है या चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को काली सूची में डाल सकता है, अर्थातः –

6.2.2 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार अनुबंध पंजीकृत नहीं करता है,

6.2.3 मासिक किस्तों का भुगतान नहीं करता है;

6.2.4 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को निर्दिष्ट दरों से अधिक पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक/पैनाल्टी वसूलने का दोषी पाया जाता है;

6.2.5 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंट के माध्यम से निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुदान या निष्पादन के बाद किसी भी भ्रष्ट आचरण, धोखाधड़ी अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास में शामिल पाया जाता है, अनुबंध और यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसका कर्मचारी रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निष्पक्ष नीलामी प्रक्रिया को खराब करने जैसे कदाचार का दोषी है;

6.2.6 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसके साथी या उसके प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुबंध से जुड़े सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है;

6.2.7 जहां चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार या उसके साथी या उसके प्रतिनिधि को अनुबंध से उत्पन्न नैतिक अक्षम्यता वाले अपराध के लिए अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है।

6.2.8 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को प्रतिबंधित करने के बाद उसे एक माह का नोटिस देकर भविष्य के अनुबंधों में भाग लेने के लिए पांच साल की अवधि के लिए ब्लैकलिस्ट कर सकता है।

6.3 पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि के संग्रहण की ठेका अवधि–

पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की धनराशि के संग्रहण की ठेका अवधि 05 वर्ष होगी। उक्त अवधि पूर्ण एंव सन्तोषजक पाये जाने पर राज्य सरकार की अनुमति से, जैसे सरकार अनुमति दे, ऐसी अवधि के लिए बढाया जा सकता है। प्रथम वर्ष की ठेका अवधि की गणना अनुबंध के दिनांक से की जाएगी तथापि अनुबंध की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी भी कारण से अनुबंध निरस्त अथवा समर्पित किया जाता है, तो अनुबंध की अवधि निरस्तीकरण/समर्पण दिनांक तक सीमित होगी।

7. ठेका राशि का निर्धारण एवं भुगतानः–

7.1 ई–निविदा सह ई–नीलामी में प्राप्त उच्चतम राशि वार्षिक ठेका राशि होगी।

टिप्पणीः– वार्षिक ठेका राशि का 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) विभागीय निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की जायेगी। प्रथम किस्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तारीख को ही देय होगी। ठेका राशि की गणना एवं भुगतान अनुबंध दिनांक से की जायेगी। आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से विभागीय लेखाशीर्षक 0853–00–102–01–00 से जमा किया जायेगा। उच्चतम बोली की धनराशि का 09 समान किस्तों में (माह अक्टूबर से माह जून तक) निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा करने, प्रथम किस्त की राशि अनुबंध निष्पादन की तरीख को जमा करने तथा आगामी किस्तें प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा करेगा।

7.2 राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 के नियम–18 की प्रथम अनुसूची में स्वामित्व (रायल्टी) की धनराशि में परिवर्तन किये जाने पर चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार की ठेका धनराशि/उच्चतम बोली की धनराशि में उक्तानुसार परितर्वत किया जायेगा एवं तद्नुसार निर्धारित/आगणित धनराशि उच्चतम बोली की धनराशि होगी जो चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा विभाग को देय होगी।

7.3 ठेका धनराशि/उच्चतम बोली धनराशि के अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क, शासकीय भुगतान पृथक से देय होंगे।

8. <u>वैधानिक अनुमतियाँः–</u>

8.1 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियामवली–2023 के नियम–9 (2) (च) एवं नियम–69–(4) के अनुसार उपरोक्तानुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार को राज्य क्षेत्रान्तर्गत नदी तल उपलब्धता वाले रिक्त उपखनिज क्षेत्रों मे खनन पट्टा, नियमावली के अध्याय–2 के अनुसार दिये जाने मे प्राथमिकता दी जायेगी।

8.2 उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियामवली–2023 के नियम–69–(5) के अनुसार चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार अनुबन्ध के अन्तर्गत दिये गये दायित्वों के निर्वहन एवं अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की रोकथाम हेतु विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल का अवलोकन किये जाने हेतु निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से अनुरोध करने पर अनुमति प्रदान की जायेगी।

8.3 यदि चयनित ठेकेदार/निविदाकार को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा रिक्त घोषित बालू, बजरी, बोल्डर/आ0बी0एम0 खनन लॉटों में से आंवटित किये जाते है तो नियमानुसार अपेक्षित समस्त अनुमतियां यथा खनन योजना का अनुमोदन, ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 के अधीन पर्यावरण स्वीकृति, एन0बी0डब्लु0एल0 (खनन लॉट के नेशनल पार्क/सेन्चुरी आदि की 10 कि0मी0 की परिधि में होने पर), वन अनापित्ति (वन भूमि होने पर) तथा उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ (Consent to Establish) व संचालनार्थ (Consent to Operate) अनुमति आदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के द्वारा प्राप्त की जायेगी। इन वैधानिक अनुमतियों को प्राप्त करने में होने वाला व्यय चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

9. ठेकों का निरस्त किया जाना –

9.1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के द्वारा ठेका समूह में सम्मिलित खदानों के पट्टेदारों से पट्टाधनराशि/अपरिहार्य भाटक की वसूली के लिए चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा इन नियमों तथा उसके अधीन निष्पादित अनुबंध की शर्तों के उल्लघन, देय राशि विहित समयावधि में जमा न करने हेतु कारण बताओं नोटिस जारी करेगा तथा चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार से उल्लंघनों के संबंध में प्राप्त उत्तर का परीक्षण करने के पश्चात, सनुवाई का उचित अवसर देते हुए या तो ठेका निरस्त कर करेगा या सम्यक रूप से अन्य कोई निर्णय ले सकेगा।

ऐसे चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार जिनका अनुबन्ध/ठेका निरस्त किया जाता है, उन्हे विभाग की ब्लैक लिस्ट में शामिल किये जाने एवं पूर्व में जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि आदि को जब्त करने का निर्णय, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा लिया जायेगा तथा ऐसे चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ठेका निरस्ती की तिथि से तीन वर्ष हेतु विभाग के किसी भी ठेके में भाग लेने हेतु प्रतिनिषिद्ध होंगे।

9.2 निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी।''

10. <u>अनुबन्ध/ठेके का समर्पण</u>–

चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को लिखित प्रार्थना पत्र देने की तिथि से अग्रिम दो माह की ठेका धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अनुबन्ध/ठेके के समर्पण पर विचार किया जा सकेगा। चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार द्वारा निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय को समस्त देयकों का भुगतान करने के पश्चात ठेका समर्पण स्वीकार किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि ठेके के समर्पण का आवेदन प्राप्त होने पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा ठेके की पुनः निविदा हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी जाएगी।

परन्तु यह और भी कि, अनुबंधित ठेका समाप्ति के छह माह पूर्व समर्पण हेतु प्रस्तुत आवेदन विचार में नहीं लिया जाएगा।

11. <u>ठेका हस्तांतरण–</u> चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार ठेके के अधीन प्रदत्त अधिकारों/विशेषाधिकारों को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की पूर्व अनुमति के बिना हस्तान्तरित नहीं करेगा।

12. चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार उस समय समस्त नियमों तथा विनियमों और ऐसी अन्य शर्तों से बाध्य होगा, जैसा कि राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की जाएं।

13. (क) सुरक्षा राशि (Security Money) **जब्त करना –**

i. यदि चयनित ठेकेकार/सफल निविदाकार वैधता अवधि (जो कि ठेका स्वीकृत होने की अवधि से छः माह होगी) में अपना ठेका वापिस ले लेता है तो।

ii. यदि अनुबंध के निष्पादन पूर्व अथवा पश्चात में किसी भी समय यह आलोक में आता है कि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार के पास निविदा प्रस्तुत करने हेतु वांछनीय अर्हता नहीं हैं तो।

iii. चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार दिवालिया हो तो,

14. <u>ठेके के दौरान राज्य सरकार/निदेशालय के निर्देश आदि –</u>

राज्य सरकार/निदेशक ठेका कार्य प्रारंभ होने के पूर्व तथा ठेके की अवधि के दौरान किन्ही अन्य व्यवहारिक शर्तों का समावेश करने तथा कार्यपालिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगें। ठेके की शर्तों की व्याख्या का अधिकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का होगा एवं उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

15. ठेका अनुबंध/एम0ओ0यू0 पर स्टाम्प ड्यूटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुसार ठेकेदार द्वारा देय होगा।

16. <u>आदेशों के पालन में क्षतिपूर्ति अमान्य –</u>

निविदा के संबंध में किसी भी न्यायालयीन आदेश, स्थगन आदेश, यथा स्थिति आदेश, अथवा अन्य कोई अंतरिम आदेश के अनुसार जारी आदेश आदि के परिप्रेक्ष्य में चयनित ठेकेदार/निविदाकार द्वारा क्लेम की गई किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं की जायेगी।

17. <u>विवादों का निपटारा –</u>

यदि चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड के मध्य निष्पादित एम0ओ0यू0 के सम्बन्ध में कोई विवाद/संशय उत्पन्न होता है तो सचिव, खनन उत्तराखण्ड शासन आर्बिट्रेटर होंगे।

इसके साक्ष्य के रूप मे उपस्थापन–पत्र एतद्धीन आयी हुई रीति से ऊपर उल्लिखित दिन और वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया है

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
(चयनित ठेकेदार/सफल निविदाकार) या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि	(निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड) या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि
साक्षी	साक्षी
1–	1–
2–	2–

जनपद देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल एवं उधमसिंहनगर में संचालित, लम्बित, रिक्त एवं नये चिन्हित उपखनिज लॉटों का विवरण

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	हरिद्वार	रवासन–1	99.19	J-015/367/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/199–FC (PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1656/VII-A-1/2021/48ख/2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	10.903	संचालित
2	हरिद्वार	रवासन–2	100.59	J-015/372/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/2000–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1654/VII-A-1/2021/51–ख/2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	6.962	संचालित
3		कोटावाली	74.67	J-015/374/2012 -IA-II(M) dated 09 March 2020	8–16/2000–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1659/VII-A-1/2021–48–ख /2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	1.671	संचालित
कुल योग			**274.45**				**19.536**	

जनपद हरिद्वार के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 स0	नाम व पता	स्वीकृत पट्टे का पता	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा(टन में)	संचालन अवधि कब से कब तक
1	2	3	4	5	6
1	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी–खडीकला, जनपद टिहरी गढवाल।	–	1.537	32883.75	04.01.2021 से 03.01.2026।
	कुल योग :–		**1.537**	**32883.75**	

जनपद देहरादून के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	खनन योजना अनुमोदन का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति	स्वीकृति शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार मात्रा (लाख टन में)
1	देहरादून	यमुना 23/3	3.7047	1347 दिनांक 02 जनवरी, 2015	J-11015/124/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शासनादेश संख्या 1894/VII-A-1/2020–108ख/2015 दिनांक 24.12.2020	1.00
2		टौस 3/11	11.100	1342 दिनांक 02 जनवरी 2015	J-11015/119/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शासनादेश संख्या 1900/VII-A-1/ 2020–114ख/2015 दिनांक 24.12.2020	0.85
3		टौस 3/14	6.700	3200 दिनांक 03 फरवरी 2015	J-11015/139/2013-IAII(M) dt. 10 Dec 2015	शसनादेश संख्या 1897/VII-A-1/2020–21ख/2016 दिनांक 24.12.2020	0.55
4		जाखन 13/1	18.000	1349 दिनांक 02 जनवरी 2015	J-11015/132/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	शसनादेश संख्या 1890/VII-A-1/2020–106ख/2015 दिनांक 24.122020	1.70
5		जाखन 13/2	92.652	1348 दिनांक 02.01.2015	J-11015/138/2013-IAII(M) dt. 03 Aug 2015	–	7.00
6		सुद्धोवाला 20/13	2.500	–.	152-1(173)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1016/VII-A-1/2021–179(ख)/201, दिनांक 09.12.2021	0.3400
7		टौंस 3/9 आरकेडिया	3.963	–.	155-1(174)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश संख्या 1091/VII-A-1/2020–180ख/2013 दिनांक 18.10.2013	0.9600

8	देहरादून	सारना 17/1	51.00	–	J-1015/91/2013 -IA.II(M) dated 21-02-2017	शासनादेश संख्या 1346/37–ख/2017, दिनांक 16.10.2017	3.500
9		आसन 14/7	4.00	–	150-1(175)/2013 dt. 30-09-2013	शासनादेश सं0 1107/VII-A-1/2022–182ख/ 2013, दिनांक 18 अक्टूबर 2022	0.58000
10		कालीराव 5/1	3.288	–	146-1(179)/2013 dt. 30-09-2015	शासनादेश संख्या 1160, दिनांक 09 दिसम्बर, 2021	0.6350
कुल योगः–			**196.90**				**17.115**

जनपद देहरादून के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	देहरादून	स्वारना	23.75	163–01(140)/2020, दिनांक 25.09.2020	08बी/यू0सी0पी0/05/166/2016/एफ0सी0/1496, दिनांक 08.10.2020	शासनादेश संख्या 1811/2020/5(35)/20 दिनांक 26.11.2020 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि	2.160	संचालित
2		जाखन–1	195.00	267–01 (154)/2021, दिनांक 12.08.2021	8–62/1999 FC (VOL), दिनांक 20 अक्टूबर, 2021	शासनादेश संख्या 2091/VII-A-1/2021–05(63)/2021, दिनांक 23.12.2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत।	29.685	संचालित
कुल योग			**218.75**				**31.845**	

जनपद देहरादून के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम/पता	स्वीकृत क्षेत्र तह0 व ग्राम	क्षेत्रफल है0 में	प्रतिवर्ष निकासी की निर्धारित मात्रा (टन में)	स्वीकृत अवधि (कब से कब तक)
1	2	3	4	5	6
1	श्री जनक सिंह रावत पुत्र री सुन्दर सिंह रावत, विकासनगर, देहरादून।	ग्राम नवाबगढ, तहसील विकासनगर	1.76	34444.20	13.10.2020 से 12.10.2025 तक
2	श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री भगवत प्रसाद, निवासी–मोथरोवाला, जनपद देहरादून।	ग्राम जस्सोवाला विकासनगर, देहरादून।	2.2900	53922	26.05.2022 से 25.05.2027 तक
3	श्री धीरज सिंह चौहान पुत्र स्व0 श्री आनन्द सिंह चौहान, निवासी–जी, 290 नेहरू कॉलोनी, देहरादून	ग्राम सहसपुर, विकासनगर, देहरादून।	4.6140	152262	26.05.2022 से 25.05.2027 तक
योग :–			**8.664**	**2,40,628.20**	

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	नैनीताल	ग्राम भौर्सा	8.00	संख्या 693/(27)/ 2013, दिनांक 30.04.2015	शासनादेश संख्या 1224/VII-A-1/2021 –133 ख/2015 दिनॉक 10 दिसम्बर, 2021	1.620	संचालित
2		बर्धों	0.320	71–EC–1(35)/2013 , दिनांक 04 अगस्त, 2013	शासनादेश संख्या 1317/VII-A-1/2022 –257ख/2013 दिनॉक 18 अगस्त, 2022	0.24	संचालित
3		चापड़	5.630	257–01(179)/2021, दिनांक 31.07.2021	शासनादेश संख्या 1545/VII-A-1/2022–141ख/2022, दिनॉक 23.09.2022	0.25	संचालित
4		अमियां	2.0	19–1(26)/2013 दिनांक 06.07.2013	शासनादेश संख्या 1106/VII-A-1/2022–141ख/2013 दिनॉक 23.09.2022	2.88	संचालित
योग			**15.95**			**4.99**	

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड वन विकास निगम के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	**नैनीताल**	गौला	1497.00	J-11015/ 363 /2009- IA – II(M) dated 13 April 2011	8–61 / 1999–F C(Pt. IV), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 1057 / VII-A-I / 2022 / 11(ख) / 2010, दिनांक 29 सितम्बर, 2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	117	**संचालित**
2		नन्धौर–कैलाश नदी	468.00	J-11015/401 /2015-IA-II(M) dated 27-02-2018	8–34 / 2016–F C, दिनांक 06 सितम्बर, 2017	शासनादेश संख्या 432 / VII-A-1 / 2023 / 41ख / 2017, दिनांक 20 मार्च, 2023 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	46.20	**संचालित**
3		कोसी	254.00	J-015/360/2009 -IA-II(M) dated 13 April 2011	8–61 / 1999–F C(Pt. VI), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश सं0 2170 / VII-A-1 / 2021 / 21ख / 13, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	36.54	**संचालित**
4		दाबका	223.00	J-015/359/2009 -IA-II(M) dated 05 April 2011	8–61 / 1999–F C(Pt. V), दिनांक 01.03.2023	शासनादेश संख्या 2171 / VII-A-1 / 21 / 22 ख / 13, दिनांक 03.01.2022 के द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	15.28	
योग :–			**2442.00**				**215.02**	

जनपद उधमसिंहनगर के अन्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लि0 के संचालित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय अनुमति	शासनादेश का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति में उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1.	उधमसिंहनगर	जनपद उधमसिंहनगर तह0 बाजपुर के ग्राम मढैयागुलजारी	2.69	संख्या 208–1(221)/ 2013 दिनांक 21 अक्टूबर 2013	शासनादेश संख्या 1957/VII-A-1/2020 –259ख /2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.887	संचालित
2.		जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली	5.29	संख्या 22–1(25)/20 13 दिनांक 06 जुलाई, 2013	शासनादेश संख्या 1958/VII-A-1/ 2020 –19ख/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.312	संचालित
3		जनपद उधमसिंहनगर ग्राम किच्छा के ग्राम खमिया न–4 (शान्तिपुरी)	1.006	211–1(218)/ 13 दिनांक 21.10.2013	शासनादेश संख्या 1956/VII-A-1/ 2020 –255ख/2013 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	0.331	संचालित
योग			**8.986**			**1.53**	

जनपद उधमसिंहनगर के निजी नाप भूमि के संचालित खनन पट्टों का विवरण

क्र0 सं0	पट्टाधारक का नाम	स्वीकृत क्षेत्र/ तहसील	क्षेत्रफल (हेक्टे0 में)	प्रतिवर्ष निकासी हेतु निर्धारित मात्रा (टन में)	पट्टाविलेख के अनुसार स्वीकृत अवधि कब से कब तक
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	श्री मदन लाल	सुल्तानपुर/ बाजपुर	0.813	26829	दिनांक 22.07.2019 से 21.07.2024
योगः–			**0.813**	**26829**	

जनपद उधमसिंहनगर

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पट्टाधारक का नाम	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	आशय पत्र स्वीकृति की तिथि	सीमाबन्धन / खनन योजना की स्थिति	पर्यावरणीय अनुमति की वैधता की अवधि	खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धित शासनादेश की तिथि एवं पट्टा की वैधता अवधि	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज की वार्षिक मात्रा (लाख टन में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*
1	उधमसिंह नगर	श्रीमती प्रिया अग्रवाल MO67022178	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	4.390	12.09.2018	अनुमोदित	दिनांक 07.06.2019	शासनादेश दि0 **09.08.2019**	0.658
2	उधमसिंह नगर	श्री गोपाल सिंह बिष्ट MO67022275	जनपद उधमसिंहनगर तहसील बाजपुर के ग्राम लक्ष्मीपुर	2.800	22.06.2018	अनुमोदित	दिनांक 26.09.2019	शासनादेश दि0 **29.11.2019**	0.924
3	उधमसिंह नगर	श्रीमती प्रिया अग्रवाल MO67022432	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	3.183	29.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 07.06.2019	शासनादेश दि0 **29.10.2019**	0.477
4	उधमसिंह नगर	श्री सुखवन्त कौर MO67022429	जनपद उधमसिंह नगर तह0 किच्छा के ग्राम नया प्लाट शान्तिपुरी नं0 4, लॉट नं0 01 / गौला नदी	5.00	29.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 06.12.2019	शासनादेश दि0 **27.12.2019**	1.65
5	उधमसिंह नगर	श्री जितेन्द्र सिंह MO67022674	जनपद उधमसिंह नगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	6.0	12.09.2018	अनुमोदित		शासनादेश दि0 **29.01.2020**	0.90
6	उधमसिंह नगर	श्रीमती प्रिया अग्रवाल MO67022670	जनपद उधमसिंहनगर तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी	1.959	06.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 07.06.2019	शासनादेश दि0 **30.12.2019**	0.233
7	उधमसिंह नगर	मै0 रामा कन्स्ट्रक्शन MO67024041	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	4.654	05.02.2019	अनुमोदित	दिनांक 25.10.2021	शासनादेश दि0 **06.01.2022**	1.25
8	उधमसिंह नगर	श्री पुनीत कुमार गोयल MO67023538	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.876	10.12.2018	अनुमोदित	दिनांक 12.11.2021	शासनादेश दि0 **06.01.2022**	1.03

9	उधमसिंह नगर	श्री अब्दुल अलीम **MO67023537**	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम मेरावराना	2.969	07.12.2018	अनुमोदित	दिनांक 25.10.2021	शासनादेश दि0 **07.12.2018**	0.792
10	उधमसिंह नगर	श्री कवलजीत सिंह कॉन्ट्रेक्टर	जनपद उधमसिंहनगर तह0 किच्छा के लॉट नं0 2 कोटखर्रा, शान्तिपुरी नं0 4, गौला नदी	5.00	29.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 30.12.2019	शासनादेश दि0 **23.12.2021**	1.65
11	उधमसिंह नगर	श्री पुनीत कुमार गोयल	जनपद उधमसिंह नगर, सितारगंज के ग्राम साधुनगर, कैलाश नदी	5.926	29.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 06.11.2020	शासनादेश दि0 **15.12.2021**	0.88
कुल योग :–									**10.444**

जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत रिक्त उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0सं0	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	मात्रा (लाख टन में)
01	निहाल नदी	100.00	27
02	बोर नदी	255.00	68.85
03	भाकडा	170.08	45.9216
04	घुना नदी	15.88	4.2876
05	चोंसला	100.00	27
06	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 01 वन भूमि	4.00	1.08
07	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 02 वन भूमि	3.5	0.945
08	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 03 वन भूमि	4.80	1.296
09	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 04 वन भूमि	1.50	0.405
10	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 05 वन भूमि	1.50	0.405
11	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 06 वन भूमि	1.20	0.324
12	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 07 वन भूमि	1.20	0.324
13	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 08 वन भूमि	3.50	0.945
14	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 09 वन भूमि	2.20	0.594
15	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 10 वन भूमि	1.50	0.405
16	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 11 वन भूमि	4.50	1.215
17	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 12 वन भूमि	2.75	0.7425
18	हल्द्वानी वन प्रभाग (छकाता रेंज), सुखी नदी, लॉट संख्या 13 वन भूमि	2.70	0.729
19	नैनीताल वन प्रभाग (नैना रेंज), जाख घूना नाला वन भूमि	7.20	1.296
कुल योग :–		**683.00**	**183.76**

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम लि0 के नवीनीकरण हेतु अपेक्षित लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय	स्वीकृति / नवीनीकरण का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति मे उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	हरिद्वार	बंजारेवाला	29.265	J-11015/144/2013 -IA.II(M) dated 21-02-2017	शासनादेश संख्या 1349 / 40ख / 17 दिनांक 16.10.2017	3.940	खनन पट्टा नवीनीकरण हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित।
योग :–			**29.265**			**3.940**	

वन विकास निगम के मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेशों के कारण असंचालित लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0)	पर्यावरणीय अनुमति का विवरण	फॉरेस्ट क्लीयरेंस का विवरण	स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश	पर्यावरणीय अनुमति आदि के अनुसार मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	हरिद्वार	गंगा श्यामपुर	219.442	J-11015/368 /2012-IA-II (M) dated 23-03-2020	8–16 / 199–FC(PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1658 / VII-A-1 / 2021–47ख / 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	6.783	(मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल मे योजित जनहित या0सं0 15 / 2022 ''मातृ सदन बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य'' में मा0 न्यायालय द्वारा
2		गंगा विशनपुर	237.918	J-1015/371 /2012 -IA-II(M) dated 23-03-2020	8–16 / 2000–FC (PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1660 / VII-A-1 / 2021–52–ख / 2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	4.57	

3		गंगा चिड़ियापुर	325.74	J-1015/369 /2012 -IA-II(M) dated 08-04-2020	8–16/199–FC (PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1655 /VII-A-1/2021–49–ख/2016, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	3.692	**पारित आदेश दिनांक 16.03. 2022 के अनुक्रम में खनन/चुगान कार्य बंद है)**
4		गंगा भोगपुर	190.57	J-1015/372 /2012 -IA-II(M) dated 10 April 2020	8–16/199–FC (PT-II), दिनांक 23 मार्च, 2016	शासनादेश संख्या 1657 /VII-A-1/ 2021–34ख/ 2018, दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत।	5.257	
योग :–			**973.67**				**20.302**	

ई–निविदा सह ई–नीलामी खनन पट्टा पर स्वीकृत उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पट्टाधारक का नाम	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	आशय पत्र स्वीकृति की तिथि	सीमाबन्धन / खनन योजना की स्थिति	पर्यावरणीय अनुमति की वैधता की अवधि	खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धित शासनादेश की तिथि एवं पट्टा की वैधता अवधि	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज की वार्षिक मात्रा (लाख टन में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*
1	हरिद्वार	श्रीमती कंचन भट्ट **MO68022046**	जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.496	14.05.2018	अनुमोदित	दिनांक 09.03.2019	शासनादेश दि0 **13.09.2018**	0.329
2	हरिद्वार	श्री अर्जुन सिंह **MO68023225**	जनपद हरिद्वार तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.700	07.12.2018	अनुमोदित	दिनांक 07.12.2018	शासनादेश दि0 **28.01.2021**	0.350
3	हरिद्वार	श्री शुभम शर्मा	जनपद हरिद्वार की तहसील लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.475	29.08.2018	अनुमोदित	दिनांक 25.05.2021	शासनादेश दि0 **07.01.2022**	0.324

4	हरिद्वार	श्री अभिषेक शर्मा **MO68023306**	जनपद हरिद्वार लक्सर ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल	1.578	16.05.2018	अनुमोदित	दिनांक 22 जून, 2020	शासनादेश दि0 **22.10.2020**	0.34
कुल योग :–									**1.343**

ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत आशय पत्र पर स्वीकृत उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	आशय पत्र धारक का नाम	उपखनिज क्षेत्र का नाम	आशय पत्र संख्या	आशय पत्र जारी होने की तिथि	मात्रा (टन में)	अभ्युक्ति
1	श्री सुधीर कुमार विण्डलास	जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट, क्षेत्रफल 9.8780 है0	546 / 2018	27.03.2018	217316	एन0बी0डब्लू0एल0 स्तर पर।
2	श्री सुधीर कुमार विण्डलास	जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट, क्षेत्रफल 13.1610 है0	549 / 2018	27.03.2018	289542	
3	श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान	जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बंजारेवाला ग्रान्ट, क्षेत्रफल 8.6673 है0	548 / 2018	27.03.2018	190681	पर्यावरणीय अनुमति स्तर पर।
4	श्री सुधीर कुमार विण्डलास	जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम बन्जारेवाला ग्रान्ट, क्षेत्रफल 15.00 है0	1082 / 2018	28.05.2018	330000	एन0बी0डब्लू0एल0 स्तर पर।
5	श्रीमती कंचन भट्ट	जनपद हरिद्वार तह0 लक्सर के ग्राम रामपुर रायघटी अहतमाल, क्षेत्रफल 2. 335 है0	1654 / 2018	29.08.2018	51370	पर्यावरणीय स्तर पर।
6	मै0 भागीरथी स्टोन क्रेशर	जनपद हरिद्वार तहसील भगवानपुर के ग्राम दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, क्षेत्रफल 6.6755 है0	547 / 2018	27.03.2018	146861	आशयपत्रधारक द्वारा आशय पत्र की अनुपालना न किये जाने के कारण आशय पत्र को निरस्त किये जाने हेतु **प्रकरण शासन के निर्णयाथ प्रेषित।**
कुल योग :–					**12,25,770**	

जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत गढवाल मण्डल विकास निगम के नवीनीकृत लॉट, परन्तु वर्तमान में असंचालित लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	पर्यावरणीय	स्वीकृति / नवीनीकरण का विवरण	पर्यावरणीय अनुमति मे उल्लिखित मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	देहरादून	यमुना 21 / 1	123.190	J-11015/130/2013 -IA.II(M) dated 17-08-2016	शासनादेश संख्या 3170 / 2019(32) दिनांक 08.02.2019	8.000	एन0जी0टी0 द्वारा खनन संक्रियाओं पर रोक लगायी गई है, जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका की गई है।
2		यमुना 21 / 3	68.364	J-11015/140/2013 -IA.II(M) dated 07-09-2016	शासनादेश संख्या 2042 / 108–ख / 2016 दिनांक 03.01.2017	6.000	
3		टौस 3 / 8	15.363	J-11015/87/2013-IAII(M) dt. 18 Dec 2015	शासनादेश सं0 1902 / VII-A-1 / 2020–23ख / 2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2020	1.50	खनन योजना अनुमोदन की कार्यवाही गतिमान।
4		आसन 14 / 8	32.00	J-11015/92/2013-IAII(M) dt. 18 Dec 2015	शासनादेश संख्या 1896 दिनांक 24.12.2020	3.00	क्षेत्रफल विवाद / उपखनिज की मात्रा का निर्धारण न होने के कारण असंचालित।
5		बाल्दी 15 / 3, 15 / 4	35.785	J-11015/134 /2013-IA .II(M) dated 03-03-2017	–	5.00	खनन योजना अनुमोदन की कार्यवाही गतिमान।
योग :–			**274.70**			**23.50**	

पर्यावरणीय अनुमति / एन0बी0डब्लू0एल0 स्तर पर लम्बित लॉटों का विवरण

क्र0सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	आशय पत्र का विवरण	खनन योजना अनुमोदन	खनन योजना में अनुमोदित मात्रा (लाख टन में)	अभ्युक्ति
1	देहरादून	सौग 7 / 2	135.856	40 दिनांक 14 अप्रैल, 2013	पत्र संख्या 2211 दिनांक 31 मार्च 2015	7.500	ई0सी0 स्तर पर
2		सुसवा 12 / 2	55.51	40 दिनांक 14 अप्रैल, 2013	पत्र संख्या 786 दिनांक 08 दिसम्बर, 2015	6.850	एन0बी0डब्लू0एल0 के स्तर पर
योग			**191.366**			**14.35**	

उत्तराखण्ड वन विकास निगम आशय पत्र पर स्वीकृत एवं ईसी0, एफ0सी0 आदि स्तर पर लम्बित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	कुल क्षेत्रफल (है0)	आशयपत्र का विवरण	खनन योजना अनुमोदन	मात्रा (लाख टन में)	पर्यावरणीय अनुमति
1	देहरादून	सौंग–1	225.00	कार्यालय ज्ञांप संख्या 538 दिनांक 24 जुलाई, 2018 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञांप संख्या 1039/2018–19 दिनांक 05 नवम्बर, 2018	1992/2020–21 दिनांक 12 नवम्बर, 2020	59.994	EC & FC प्राप्त किये जाने की कार्यवाही वन विकास निगम के स्तर पर गतिमान।
2		सौंग–2	136.85	कार्यालय ज्ञांप संख्या 540 दिनांक 24 जुलाई, 2018एवं संशोधित कार्यालय ज्ञांप संख्या 1038/2018–19 दिनांक 05 नवम्बर, 2018	1993/ /2020–21 दिनांक 12 नवम्बर, 2020	40.644	
3		सौंग–3	270.00	कार्यालय ज्ञांप संख्या 537 दिनांक 24 जुलाई, 2018	1994/2020–21 दिनांक 12.11.2020	27.769	
4	देहरादून	जाखन–2	96.50	कार्यालय ज्ञांप संख्या 536 दिनांक 24 जुलाई, 2018 एवं संशोधित कार्यालय ज्ञांप संख्या 1037/2018–19 दिनांक 05 नवम्बर, 2018	1991/ /2020–21 दिनांक 12 नवम्बर, 2020	28.660	
5		कोटमोट	60.00	कार्यालय ज्ञाप संख्या 71,दिनांक 01 जून, 2020 के द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 584, दिनांक 23 जनवरी, 2023 की अवधि विस्तारित।	46/ 2013–14 दिनांक 13 मई, 2015	3.600	
6		सौंग–मसूरी	64.00		137/ 2013–14 दिनांक 30 मई, 2015	4.680	
योग :–			**852.35**			**165.347**	

जनपद नैनीताल क्षेत्रान्तर्गत कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के आशय पत्र पर स्वीकृत एवं वर्तमान में असंचालित लॉटों का विवरण

क्र0सं0	जनपद	तहसील	ग्राम	कुल क्षेत्रफल (है0 में)	अनुमानित मात्रा (लाख टन में)	आशय पत्र संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	नैनीताल	बेतालघाट	हल्सो लग्गा बेरोसीर पट्टी मल्लाकोश्या	1.198	0.796	5247, दिनांक 31.03.2022	पर्यावरणीय अनुमति अप्राप्त।
2			सेठी भण्डार	1.00	0.660	5248, दिनांक 31.03.2022	
योग				**2.198**	**1.456**		

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के आशय पत्र पर स्वीकृत एवं ईसी0, एफ0सी0 की अनुमति के स्तर पर लम्बित लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	लॉट का नाम	क्षेत्रफल (है0)	आशयपत्र का विवरण	मात्रा (लाख टन में)	पर्यावरणीय अनुमति
1	नैनीताल	कोशी–दाबका भाग–2	150	1207 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020	40.50	ई0सी0 एवं एफ0सी0 की कार्यवाही निगम के स्तर पर गतिमान।
योग			**150.00**		**40.50**	

ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत स्वीकृत उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	जनपद का नाम	पट्टाधारक का नाम	खनन क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	आशय पत्र स्वीकृति की तिथि	सीमाबन्धन / खनन योजना की स्थिति	पर्यावरणीय अनुमति की वैधता की अवधि	खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धित शासनादेश की तिथि एवं पट्टा की वैधता अवधि	पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार उपखनिज की वार्षिक मात्रा (लाख टन में)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*	*11*
1	नैनीताल	श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर MO66022797	जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भौर्सा	6.00	15.05.2018	अनुमोदित	दिनांक 15.05.2018	शासनादेश दि0 **30.12.2019**	1.32
कुल योग :–									**1.32**

जनपद उधमसिंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ई–निविदा सह ई–नीलामी के अन्तर्गत स्वीकृत उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	आशय पत्र धारक का नाम	उपखनिज क्षेत्र का नाम	आशय पत्र संख्या	आशय पत्र जारी होने की तिथि	मात्रा (टन में)	अभ्युक्ति
1	श्री सुखवन्त कौर	जनपद उधमसिंहनगर तह0 बाजपुर के ग्राम बैतखेडी, दाबका नदी, क्षेत्रफल 1.849 है0	1648/2018	29.08.2018	61017	पर्यावरणीय स्तर पर।
2	गुरूनानक इन्टरप्राइजेज	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, क्षेत्रफल 40.50 है0	40/2019	05.02.2019	1336500	पर्यावरणीय स्तर पर।
3	श्री राजेश शर्मा	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील सितारगंज के ग्राम उकरौली, कैलाश नदी, क्षेत्रफल 29.805 है0	2457/2018	20.12.2018	447075	
4	श्री मोबीन अहमद	जनपद उधमसिंहनगर की तहसील काशीपुर के ग्राम दभौरा एहतमाली के क्षेत्रान्तर्गत 1.403 है0	1125/2021	24.02.2021	46299	आशयपत्रधारक द्वारा प्रश्नगत लॉट को निरस्त किये जाने तथा जमा धनराशि को वापिस किये जाने हेतु किये गये अनुरोध के क्रम में प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को प्रेषित।
कुल योग :–					**18,90,891**	

नवीन चिन्हित उपखनिज लॉटों का विवरण

क्र0 सं0	तहसील	ग्राम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि की श्रेणी	मात्रा (टन में)	खनिज का प्रकार
जनपद– नैनीताल								
1.	नैनीताल	भौर्सा	गौला नदी	खसरा नं0 2519 अ रक्वा 31.665 है0 मध्ये 3.00	3.00	राजस्व	162000	आर0बी0एम0
2.	बेतालघाट	खैरनी के तोक बडेरी	कोसी	खसरा सं0 2839 ब रक्वा 2.023 मध्ये 1.012 हे0	1.012	राजस्व	54648	आर0बी0एम0
3.	बेतालघाट	बिसगुली I	कोसी	खसरा सं0 737 मध्ये 1.56	1.56	राजस्व	84240	आर0बी0एम0
4.	बेतालघाट	बिसगुली II	कोसी	खसरा सं0 737 रक्वा 1.158	1.158	राजस्व	62532	आर0बी0एम0
5.	बेतालघाट	ओडाडाडर	कोसी	खसरा सं0 427 ब रक्वा 1.794	1.794	राजस्व	96876	आर0बी0एम0
6.	बेतालघाट	दाड़िमा	दाडिमा गधेरा	खसरा सं0 354/2858, 354 अ कुल रक्वा 8.638 मध्ये 0.800 है0	0.800	राजस्व	43200	आर0बी0एम0
7.	बेतालघाट	द्योडिया हल्सौं	घोड़िया हल्सों गधेरा	खसरा सं0 1533 कुल 3.844है0	3.844	राजस्व	207576	आर0बी0एम0
8.	बेतालघाट	सेठी बेलगांव	कोसी	खसरा सं0 01 रक्वा 4.001 है0 मध्ये 1.946	1.946	राजस्व	105084	आर0बी0एम0
9.	बेतालघाट	कटीमी	कोसी	खसरा सं0 981, 982 कुल रक्वा 12.320 है0 मध्ये 4.680 है0	4.680	राजस्व	210600	आर0बी0एम0
10.	बेतालघाट	जोशीखोला	कोसी	खसरा सं0 2829 रक्वा 7.056 है0 मध्ये 1.50 है0	1.50	राजस्व	81000	आर0बी0एम0
11.	कौस्याकुटोली	बारगल सिल्टोना	शिप्रा	खसरा सं0 1771, 1822 व 548/1777 मध्ये रक्वा 0.700	0.700	राजस्व	37800	आर0बी0एम0
12.	कौस्याकुटोली	छडा डोबा	शिप्रा	खसरा सं0 89, 90 एवं 1315 मध्ये 1.792	1.792	राजस्व	96768	आर0बी0एम0
जनपद– देहरादून								
1.	ऋषिकेश	साहन नगर	सौंग	खसरा नं0 462मि0 रक्वा 2.00	2.00	राजस्व	54000	आर0बी0एम0
2.	डोईवाला	माजरी ग्रांट (प्रथम)	जाखन	खसरा संख्या 4931 मध्ये रक्वा, 0.350 है0	0.35	राजस्व	12600	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
3.	डोईवाला	माजरी ग्रांट (द्वितीय)	जाखन	खसरा संख्या 4706 मध्ये रक्वा 0.200 है0	0.200	राजस्व	7200	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
4.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Downstream-V)	सुसवा	खसरा संख्या 2376 मध्ये रक्वा 2.00 है0	2.00	राजस्व	108000	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
5.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Downstream-IV)	सुसवा	खसरा संख्या 2376 मध्ये रक्वा 1.25 है0	1.25	राजस्व	67500	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
6.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Downstream-III)	सुसवा	खसरा संख्या 2376 मध्ये रक्वा 2.00 है0	2.00	राजस्व	108000	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
7.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Downstream-II)	सुसवा	खाता संख्या 1122, खसरा संख्या 2376 रक्वा 40.00 है0 मध्ये 1.40 है0	1.40	राजस्व	75600	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
8.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Downstream-I)	सुसवा	खाता संख्या 1122, खसरा संख्या 2376 रक्वा 40.00 है0 मध्ये 1.40 है0	1.40	राजस्व	75600	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
9.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Up Stream-I)	सुसवा	खाता संख्या 1122, खसरा संख्या 2376 रक्वा 40.00 है0	1.60	राजस्व	86400	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में

				मध्ये 1.60 है0				
10.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Up Stream-II)	सुसवा	खाता संख्या 1122, खसरा संख्या 2376 रक्वा 40.00 है0 मध्ये 1.60 है0	1.60	राजस्व	64800	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
11.	डोईवाला	मारखम ग्रांट-II (Up Stream-III)	सुसवा	खाता संख्या 1122, खसरा संख्या 2376 रक्वा 40.00 है0 मध्ये 1.60 है0	1.60	राजस्व	64800	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
12.	डोईवाला	डेंसवाला, घिसरपड़ी (सौंग-I)	सौंग	खसरा सं0 455क कुल रक्वा 27.093 है0 भूमि मध्ये 4.5 हे0	4.5	राजस्व	243000	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
13.	डोईवाला	घिसरपडी सौंग -II)	सौंग	खसरा सं0 226घ रक्वा 38.115 है0 व खसरा सं0 229 रक्वा 41.250 है0 में से 1.05 है0 भूमि	1.05	राजस्व	56700	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
14.	डोईवाला	घिसरपडी सौंग -III)	सौंग	खसरा सं0 226 रक्वा 36.433 है0 व खसरा सं0 228 रक्वा 41.250 है0 कुल रक्वा 77.683 है0 भूमि मध्ये कुल 1.350 है0 भूमि	1.350	राजस्व	72900	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
15.	डोईवाला	घिसरपडी सौंग -IV)	सौंग	खसरा सं0 226 रक्वा 36.433 है0 व खसरा सं0 228 रक्वा 41.250 है0 कुल रक्वा 77.683 है0 भूमि मध्ये कुल 1.20 है0 भूमि	1.20	राजस्व	64800	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
16.	डोईवाला	घिसरपडी सौंग -V)	सौंग	खसरा सं0 226घ रक्वा 38.115 है0 व खसरा सं0 228 रक्वा 41.25 म0 0.90	0.90	राजस्व	48600	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
17.	डोईवाला	घिसरपडी सौंग -VI)	सौंग	खसरा सं0 226घ रक्वा 38.115 है0 व खसरा सं0 228 रक्वा 41.250 है0 में से 0.90 है0 भूमि	0.90	राजस्व	48600	आर0बी0एम0 मिश्रित रूप में
जनपद– हरिद्वार								
1.	भगवानपुर	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद-I	मोडरो	खसरा सं0 220, 221, 222, 184 कुल रक्वा 4.0227	4.0227	राजस्व	217226	आर0बी0एम0
2.	भगवानपुर	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद-II	मोडरो	गाटा सं0 186/4, कुल रक्वा 4.50 है0 मध्ये 3.50 है0	3.50	राजस्व	189000	आर0बी0एम0
3.	भगवानपुर	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद-III	सुखरों	गाटा सं0 259/15 रकबा 2.00 है0	2.00	राजस्व	108000	आर0बी0एम0
4.	भगवानपुर	दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवा शहीद-IV	–	गाटा सं0 260, 224, 225, 223, 220, 216 के मध्ये प्रस्तावित 3.00 है0	3.00	राजस्व	162000	आर0बी0एम0
5.	भगवानपुर	बंजारेवाला ग्राट-I	सुखरों	खाता सं0 856, खसरा सं0 1269ण, कुल रक्वा 28.3010 है0 मध्ये 2.00 है0	2.00	राजस्व	108000	आर0बी0एम0
6.	भगवानपुर	बंजारेवाला ग्राट-II	सुखरों	खाता सं0 856, खसरा सं0 1269ण, कुल रक्वा 28.3010 है0 मध्ये 3.00 है0	3.00	राजस्व	162000	आर0बी0एम0
7.	भगवानपुर	बंजारेवाला ग्राट-III	चिल्लावाली	खाता सं0 856 खसरा सं0 1501 ख, कुल रक्वा 9.6889 है0 मध्ये 3.40 है0	3.40	राजस्व	183600	आर0बी0एम0

8.	भगवानपुर	बंजारेवाला ग्राट-IV	चिल्लावाली	खाता सं0 856 खसरा सं0 1501 ख, कुल रक्वा 9.6889 है0 मध्ये 3.40 है0	3.40	राजस्व	183600	आर0बी0एम0
9.	भगवानपुर	बंजारेवाला ग्राट-V	सुखरों	खाता सं0 856 खसरा सं0 1269ण, कुल रक्वा 28.3010 है0 में से प्रस्तावित रकबा 3.50 है0, खसरा सं0 1019 च में से प्रस्तावित रकबा 0.500है0 व खसरा सं0 1091 रा, से प्रस्तावित रकबा 0.0500 है0 अर्थात कुल रकबा 4.050 है0	4.050	राजस्व	218700	आर0बी0एम0
जनपद– ऊधमसिहंनगर								
1.	बाजपुर	लक्ष्मीपुर–1	कोसी	270 मिन रकवा 1.200 है0	1.200	राजस्व	64800	आर0बी0एम0
2.	बाजपुर	लक्ष्मीपुर–2	कोसी	270मिन रकवा 1.225 है0	1.225	राजस्व	66150	आर0बी0एम0
3.	बाजपुर	लक्ष्मीपुर–3	कोसी	270मिन रकवा 1.218 है0	1.218	राजस्व	65772	आर0बी0एम0
4.	बाजपुर	लक्ष्मीपुर–4	कोसी	270मिन रकवा 1.224 है0	1.224	राजस्व	66096	आर0बी0एम0
5.	बाजपुर	सुल्तानपुर–1	कोसी	खसरा सं0 330/1 रकबा 0.796 है0	0.796	राजस्व	42984	आर0बी0एम0
6.	बाजपुर	सुल्तानपुर–2	कोसी	खसरा सं0 350/1 रकबा 1.020 है0	1.020	राजस्व	55080	आर0बी0एम0
7.	किच्छा	लक्ष्मीपुर–5	गौला	खसरा सं0 16/0.0549 है0, 34 मिन/0.4950 है0, 37/0.5100 है0 कुल रकबा 1.0599 है0	1.0599	राजस्व	57235	आर0बी0एम0
8.	किच्छा	गगोली लक्ष्मीपुर	गौला	खसरा सं0 58ख/0.7185 है0, 21/0.6000 है0, 28/0.6000 है0 कुल रकबा 1.9185 है0	1.9185	राजस्व	103599	आर0बी0एम0